झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
तृतीय सत्र
वर्ग-03

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, बुधवार, दिनांक:- 26 श्रावण, 1937(श0) / 26 अगस्त, 2015(ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे:-

क्र.सं.	विभागों को संसूचित की गई सा0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
58-	पेय-05	श्री गणेश गंझू	शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	17.08.15
59-	पेय-10	श्री ढुलू महतो	पाइप लाइन द्वारा जलापूर्ति।	पेयजल एवं स्वच्छता	20.08.15
60-	न-07	श्री विकास कु0 मुण्डा	तालाब का सौन्दर्यीकरण।	नगर विकास	20.08.15
61-	पेय-01	श्री अमित कुमार	शौचालय का निर्माण।	पेयजल एवं स्वच्छता	17.08.15
62-	ग्राम-14	श्री नागेन्द्र महतो	पुल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	17.08.15
63-	ग्राम-08	श्रीमती मेनका सरदार	पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	ग्रामीण विकास	17.08.15
64-	ग्राम-13	श्री ताला मराण्डी	विभाग को दिशा निर्देश देना।	ग्रामीण विकास	17.08.15
65-	पथ-11	श्री निरल पुरती	पुल का निर्माण।	*पथ निर्माण	20.08.15
66-	न-02	श्री जय प्रकाश सिंह भोगता	नालियों का निर्माण।	नगर विकास	13.08.15
67-	न-04	श्री फुलचन्द मंडल	नगर निगम में शामिल करना।	नगर विकास	17.08.15
68-	ग्राम-04	श्री आलोक कु0 चौरसिया	बकाया राशि का भुगतान करना।	ग्रामीण विकास	13.08.15
69-	ग्राम-23	श्री मनीष जायसवाल	पथ का निर्माण।	ग्रामीण विकास	20.08.15
70-	ग्राम-05	श्रीमती जोबा मांझी	बंद कार्य को चालू कराना।	ग्रामीण विकास	13.08.15
71-	ग्राम-07	श्री शशि भूषण सामाड़	पुल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	17.08.15
72-	पथ-04	श्रीमती निर्मला देवी	पथ का निर्माण एवं कालीकरण।	*पथ निर्माण	17.08.15

*पथ निर्माण से ग्रामीण विकास विभाग में स्थानान्तरित।

01	02	03	04	05	06
73-	न-01	श्री रवीन्द्र नाथ महतो	नाली एवं स्लैब का निर्माण।	नगर विकास	13.08.15
74-	ग्राम-16	श्री अमित कुमार	पुल अनुशंसा की संख्या में वृद्धि।	ग्रामीण विकास	17.08.15
75-	ग्राम-12	श्री फुलचन्द मण्डल	पथों की मरम्मति।	ग्रामीण विकास	17.08.15
76-	पथ-02	श्री प्रकाश राम	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	17.08.15
77-	पेय-07	श्री अरुप चटर्जी	निर्माण कार्य प्रारंभ करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	17.08.15
78-	पथ-10	श्री कुणाल षाड़गी	पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराना।	पथ निर्माण	19.08.15
79-	पेय-06	श्री जय प्रकाश वर्मा	चापाकल लगवाना।	पेयजल एवं स्वच्छता	17.08.15
80-	ग्राम-11	श्री नागेन्द्र महतो	पथ का मरम्मतिकरण।	ग्रामीण विकास	17.08.15
81-	ग्राम-25	श्री नारायण दास	पुल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	20.08.15
82-	पेय-09	श्री बादल	विभागीय आदेश निर्गत करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	19.08.15
83-	ग्राम-27	श्रीमती बिमला प्रधान	दोषियों पर कार्रवाई।	ग्रामीण विकास	20.08.15
84-	पथ-08	श्री राजकुमार यादव	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	19.08.15
85-	भ-01	श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता	सामुदायिक भवन का निर्माण।	भवन निर्माण	17.08.15
86-	ग्राम-17	श्री विदेश सिंह	प्रखण्ड का निर्माण।	ग्रामीण विकास	17.08.15
87-	पेय-08	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	जलापूर्ति सुनिश्चित कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	19.08.15
88-	ग्राम-20	श्री कुणाल षड़ंगी	पदाधिकारी का पदस्थापन।	ग्रामीण विकास	19.08.15
89-	न-03	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	सीवरेज एवं ड्रेनेज का निर्माण।	नगर विकास	17.08.15
90-	पेय-12	श्री दीपक बिरुवा	अभियंता पर कार्रवाई।	पेयजल एवं स्वच्छता	20.08.15
91-	ग्राम-21	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	पथ का निर्माण।	ग्रामीण विकास	20.08.15
92-	पेय-03	श्री साधु चरण महतो	शौचालय का निर्माण।	पेयजल एवं स्वच्छता	17.08.15
93-	ग्राम-01	श्री जगरनाथ महतो	पुल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	13.08.15
94-	पथ-09	श्री आलमगीर आलम	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	19.08.15
95-	ग्राम-06	श्री दशरथ गागराई	सड़क का निर्माण।	ग्रामीण विकास	17.08.15
96-	ग्राम-10	श्रीमती मेनका सरदार	पथ का निर्माण।	ग्रामीण विकास	17.08.15
97-	पथ-06	श्री रामचन्द्र सहिस	ओवरब्रीज का निर्माण।	पथ निर्माण	17.08.15
98-	पेय-02	श्री साधुचरण महतो	पेयजलापूर्ति सुनिश्चित कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	17.08.15
99-	भ-02	श्री राज कुमार यादव	दोषियों पर कार्रवाई।	भवन निर्माण	19.08.15
100-	ग्राम-26	श्री नलिन सोरेन	पुल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	20.08.15
101-	पथ-07	श्री गणेश गंझू	पुलिया का निर्माण।	पथ निर्माण	17.08.15
102-	पेय-11	श्री मनीष जायसवाल	दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई।	पेयजल एवं स्वच्छता	20.08.15
103-	पथ-12	श्री नलिन सोरेन	पथों का निर्माण।	पथ निर्माण	20.08.15
104-	पथ-03	श्री जयप्रकाश वर्मा	सड़क का निर्माण।	पथ निर्माण	17.08.15
105-	न-06	श्री राज सिन्हा	दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई।	नगर विकास	20.08.15

* ग्रामीण विकास विभाग से

01	02	03	04	05	06
106-ग्राम-03		श्रीमती जोबा मांझी	भवन की मरम्मति।	ग्रामीण विकास	13.08.15
107-न-05		श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता	सीवरेज ड्रेनेज का निर्माण।	नगर विकास	17.08.15
108-ग्राम-15		श्रीमती निर्मला देवी	पुल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	17.08.15
109-पथ-05		श्री ताला मराण्डी	सड़क का निर्माण।	पथ निर्माण	17.08.15
110-पेय-04		श्री विदेश सिंह	पेयजलापूर्ति की व्यवस्था।	पेयजल एवं स्वच्छता	17.08.15
111-ग्राम-18		श्री रघुनन्दन मंडल	पथों का कालीकरण।	ग्रामीण विकास	19.08.15
112-ग्राम-02		श्री जगरनाथ महतो	पथों की मरम्मति।	ग्रामीण विकास	13.08.15
113-ग्राम-22		श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	पथ का कालीकरण।	ग्रामीण विकास	20.08.15
114-पथ-01		श्री जय प्रकाश सिंह भोगता	बाइपास पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	13.08.15
115-ग्राम-19		श्री निरल पुरती	भवन का निर्माण।	ग्रामीण विकास	19.08.15
116-ग्राम-24		श्री अनन्त कुमार ओझा	भवन का निर्माण।	ग्रामीण विकास	20.08.15
117-ग्राम-09		श्री शशिभूषण सामाड	सड़क के निर्माण कार्य को पूर्ण कराना।	ग्रामीण विकास	17.08.15

राँची
दिनांकः-26 अगस्त,2015(ई0)

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-05/2015.....2402...../वि0स0,राँची,दिनांकः-....21/8/15.2015ई0।

प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/मंत्रीगण/मुख्य सचिव तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोहर लकड़ा)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-05/2015.....2402/वि0स0,राँची,दिनांकः-..21....मार्च,2015ई0।

प्रतिलिपिः-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय एवं अपर सचिव(प्रश्न) को सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

राजेन्द्र/-

(58)

श्री गणेश गंझू, मा०स०वि०सभा० द्वारा दिनांक– 26.08.2015 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–पेय– 05 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1	क्या यह बात सही है कि चतरा जिले के लावालौंग प्रखण्ड मुख्यालय सहित विभिन्न पंचायतों में पेयजल संकट गंभीर है ?	अस्वीकारात्मक। लावालौंग प्रखण्ड मुख्यालय सहित लावालौंग के विभिन्न पंचायतों में समुचित मात्रा में चापाकल उपलब्ध है एवं सभी गॉव तथा पंचायत पूर्णतः आच्छादित है। लावालौंग प्रखण्ड में पंचायतवार नलकूपों की संख्या निम्नवत् है :– (तालिका नीचे)
2	क्या यह बात सही है कि पेयजल के अभाव में स्थानीय लोग नदी एवं नालों के पानी पीने के लिए मजबुर है?	अस्वीकारात्मक। कंडिका 1 में स्पष्ट कर दी गई है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लावालौंग प्रखण्ड के नागरिको को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

क्र०	पंचायत	आबादी (वर्ष 2011 के अनुसार)	नलकूपों की संख्या	प्रतिनलकूप आच्छादित आबादी
1	लावालौंग	6928	106	65
2	कोलकोले	5741	88	65
3	सिलदाग	6230	100	62
4	मधनिया	4828	90	53
5	रिमी	6806	81	84
6	हेडुम	6936	93	74
7	कटिया	5974	97	61
8	लमटा	5281	72	73
	कुल	48724	727	67

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

ज्ञापांक :– 7/ ज्ता०स०1–09/2014– 3718 /राँची, दिनांक :– 23/8/15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 2154 दिनांक– 17.08.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/8/15

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।
23/08/15

59

श्री दुल्लू महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक – 26.08.2015 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–पेय–10 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर:–
क्या यह बात सही है बाघमारा विधान सभा क्षेत्र एवं पूरे कोयलांचल में अंधाधुन माईनिंग से जल स्तर काफी नीचे चला गया है और क्षेत्र के सारे कुए, तालाब चापाकल सूखने के कगार पर है।	वस्तुस्थिति यह है कि बाघमारा प्रखण्ड के खनन क्षेत्र में जल स्तर नीचे गर्मी में सुख जाता है। चापाकल का जल स्तर भी 80 फीट (24मीटर) तक चला जाता है, इससे जल प्रवाह भी कम हो जाता है। फलस्वरूप चापाकल में 100 फीट तक पाईप लगाना पड़ता है।
क्या यह बात सही है कि मईनिंग इलाके में पीटवाटर का विशाल भंडार है जिसे कंपनी द्वारा डीवाटरिंग करके बहा दिया जाता है, जबकि क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या है और आम लोगो को पानी के लिए दर–दर भटकना पड़ रहा है।	क्षेत्र में खनन कार्य चालू रहने के कारण पीटवाटर पर आधारित योजना का स्थायित्व sustainable नहीं रहती है, उदाहरण स्वरूप बाघमारा प्रखण्ड अन्तर्गत सोनारडीह एवं धनबाद प्रखण्ड अन्तर्गत बासजोरा गढ़ेरिया योजना तथा पतरातु के भुरकुण्डा का श्रोत माईन्स पीट था जो सूख /बन्द हो गई। ऐसी स्थिति में माइन्स पीट आधारित योजनाओं का निर्माण नहीं किया जा सकता है। जल गुणवत्ता का भी प्रश्न विचारणीय स्थायित्व हेतु नदी/ डैम आधारित योजना ही उचित होती है।
यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार माईनिंग क्षेत्र में डिवाटरिंग हो रहे पीटवाटर को पाईप लाईन द्वारा आस पास के इलाके में आपूर्ति करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नही तो क्यो ?	तकनीकी दृष्टिकोण से यह कार्य फिजिकल नहीं है। अतः इस पर विचार करना सम्भव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

ज्ञापांक :– 7/ता0 प्र0–01–06/2015– 3752 /राँची, दिनांक :– 24/8/15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 2327 वि0 स0 दिनांक– 2 08.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/15
(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।
24/08/15

(60)

श्री विकास कुमार मुण्डा, माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा से प्राप्त दिनांक–26.08.2015 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–न–07 का उत्तर सामग्री :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के बुण्डू प्रखंड में 100 एकड़ में अवस्थित बड़ा तालाब जलकुंभी से भर जाने के कारण नगर पंचायत बुण्डू की एक बड़ी आबादी स्नान करने, मवेशियों के पानी पीने एवं मत्स्य पालन करने की सुविधा से वंचित है;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत बुण्डू को बड़ा तालाब की साफ–सफाई एवं सौन्दर्यीकरण हेतु डी०पी०आर० तैयार कर विधिवत बोर्ड से पारित कराकर योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय आदेश दिया गया था;	स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि विभागीय आदेश के उपरांत भी अब तक बड़ा तालाब की साफ–सफाई एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य प्रारंभ नही हो पाया है;	स्वीकारात्मक है।
4	यदि उपरोक्त तीनों खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार 100 एकड़ में अवस्थित बड़ा तालाब की साफ–सफाई एवं सौन्दर्यीकरण का विचार वर्ष 2015 में प्रारंभ कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब नहीं तो क्यों?	कार्यपालक पदाधिकारी, बुण्डू नगर पंचायत द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त बड़ा तालाब के जलकुंभी की साफ–सफाई करने की योजना निकाय बोर्ड से पारित है एवं डी०पी०आर० का निर्माण विभागीय अभियंता के द्वारा किया गया है जिसकी प्राक्कलित राशि कुल 944.79 लाख रू० है एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची के द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है। डी०पी०आर० प्रशासनिक स्वीकृति हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग भेजा जा रहा है। उक्त डी०पी०आर० विभाग को प्राप्त होते ही यथोचित कारवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5/न०वि०/ता०–45/2015 - 3113. दिनांक– 25-08-15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा के ज्ञाप सं०–2312 दिनांक–20.08.2015 को 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/8/2015

सरकार के उप सचिव।

माननीय विधानसभा सदस्य श्री अमित कुमार, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 26.08.15 को सदन में उठाये जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय–01 की सूचना का उत्तर

क्रं	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाला उत्तर:–
1	क्या यह बात सही है कि सिल्ली विधान–सभा क्षेत्र के सिल्ली, सोनाहातु एवं राहे के सार्वजनिक स्थानों यथा बस अड्डा, बाजार इत्यादि जगहों में शौचालय एवं स्नानागार का अभाव है;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त जगहों पर शौचालय एवं स्नानागार नहीं रहने के कारण जनता को काफी कठिनाई होती है;	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त स्थलों में सार्वजनिक शौचालय एवं स्नानागार का निर्माण करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत सामुदायिक शौचालय निर्माण का प्रावधान है। जिले में पर्याप्त राशि उपलब्ध है। मार्गदर्शिका के अनुरूप जिला जल एवं स्वच्छता समिति कार्रवाई करें। इसके अध्यक्ष उपायुक्त होते है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक: 8/ता0प्र0संख्या–21/2015– 3757 दिनांक 24/8/15

प्रतिलिपि: अवर सचिव झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक 2132 दिनांक 17.08.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/15

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव
24/8/15

62

श्री नागेन्द्र महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं० ग्राम–14

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री नागेन्द्र महतो, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला स्थित पंदना से चौबे पथ, गिरिडीह जिला के बिरनी प्रखण्ड एवं हजारीबाग जिला के चलकुसा प्रखण्ड को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण पथ है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित हजारीबाग एवं गिरिडीह जिला के दो प्रखण्डों को जोड़ने वाला पथ में पंदना घाट पर पुल का निर्माण हो जाने से ग्रामीणों को आवागमन में काफी सुविधा होगी ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (2) में वर्णित पंदना घाट पर पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सीमित बजट उपबंध रहने की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2015–16 में माननीय स०वि०स० से प्राप्त प्राथमिकता सूची के आधार पर एक योजना "गिरिडीह जिला के बिरनी प्रखण्ड के माखमरगो से जुठाहाआम तक पथ में माखमरगो नदी पर पुल निर्माण" का डी०पी०आर० तैयार कराया जा रहा है। सीमित बजट उपबंध रहने के कारण तारांकित प्रश्न सं० ग्राम–14 में वर्णित पुल के निर्माण की स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांक:– 7 (वि०स०)–266 / 2015 / ग्रा०का० 2782 राँची, दिनांक– 21-8-15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–2142 वि०स० दिनांक 17.08.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8/15
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि०स०)–266 / 2015 / ग्रा०का० 2782 राँची, दिनांक– 21-8-15

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21/8/15
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि०स०)–266 / 2015 / ग्रा०का० 2782 राँची, दिनांक– 21-8-15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव (प्रभारी विधानमंडलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21/8/15
सरकार के उप सचिव

(63)

श्रीमती मेनका सरदार, माननीय सदस्या, झारखण्ड विधान सभा के द्वारा आगामी दिनांक 26.8.2015 को सदन में पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – ग्राम – 8 पर उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न–कर्ता – श्रीमती मेनका सरदार, माननीय सदस्या, झारखण्ड विधान सभा	उत्तर–दाता – श्री नीलकंठ मुण्डा, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची
1. क्या यह बात सही है कि जिला पूर्वी सिंहभूम अन्तर्गत प्रखण्ड पोटका पंचायत कालिकापुर, के ग्राम डोंकारसाई में मनरेगा घोटाले के तहत् योजना संख्या – 03/2011–12 एवं 04/2011–12 की जाँच चल रही है;	स्वीकारात्मक। प्रासंगिक योजनाओं की जांच हेतु मुख्यालय स्तर से श्री शिवेन्द्र प्रसाद सिन्हा, उप सचिव एवं श्री अवधेश शर्मा, कार्यपालक अभियंता की एक जांच टीम गठित की गयी। जांच दल का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है।
2. क्या यह बात सही है कि योजना संख्या – 03/2011–12 एवं 04/2011–12 के तहत मिट्टी मुरम पथ के कार्य हेतु 6 लाख 44 हजार 459 रू० स्वीकृत है, तथा बिना काम कराये राशि का भुगतान हो चुका है;	योजना संख्या – 03/2011–12 एवं 04/2011–12 में प्राक्कलित राशि 302400.00 रूपये एवं 302400.00 रूपये कुल 604800.00 रूपये है, जिसमे से योजना संख्या – 03/2011–12 में 302243.00 रूपये एवं 04/2011–12 में 301973.00 रूपये कुल 604216.00 रूपये भुगतान हो चुका है।
3. क्या यह बात सही है कि योजना – 03/2011–12 शैलेन भूमिज के घर से मुख्य सड़क तक वाली योजना स्थल पर मुखिया फंड से पीसीसी पथ का निर्माण पूर्व के कार्य को छिपाने के लिए किया गया है;	जांच प्रतिवेदन के अनुसार पिछले 6 वर्षों से इस पथ पर कोई कार्य नहीं हुआ है। मिट्टी कट्टाई का पीट नहीं पाया गया। मुरम बिछाई का कार्य भी नहीं पाया गया।
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मनरेगा घोटाले में शामिल मुखिया, पंचायत सेवक एवं रोजगार सेवक एवं संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नही, तो क्यों ?	जांच दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। समीक्षोपरांत चिन्हित दोषी पदाधिकारियों/ कर्मियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक – . 11–321/वि०स०/2015/ग्रा०वि० –(N) 1937 राँची, दिनांक 24.8.15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक 2135 दिनांक 17.8.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(signature) 24.08.15

(परितोष उपाध्याय)
विशेष सचिव।

ज्ञापांक – 11–321/वि०स०/2015/ग्रा०वि० –(N) 1937 राँची, दिनांक 24.8.15

प्रतिलिपि :– श्रीमती मेनका सरदार, माननीय सदस्या, झारखण्ड विधान सभा के आप्त सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव / माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा – IV) ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/08/15

विशेष सचिव।

(64)

श्री ताला मराण्डी, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा के द्वारा आगामी दिनांक 26.8.2015 को सदन में पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – ग्राम–13 पर उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न–कर्ता – श्री ताला मराण्डी, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा	उत्तर–दाता – श्री नीलकंठ मुण्डा, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची
1. क्या यह बात सही है कि मनरेगा से ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची एवं पक्की आधारभूत संरचना का निर्माण कार्य हो रहा है;	स्वीकारात्मक। मनरेगा अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची एवं पक्की आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करने का प्रावधान है।
2. क्या यह बात सही है कि पंचायतों को आवंटित राशि प्रत्येक कार्य योजना पर कुल लागत का 60 प्रतिशत मानव कार्य दिवस सृजन में तथा 40 प्रतिशत सामग्री में खर्च करके पक्की आधारभूत संरचनाएँ खड़ी करने में व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है;	अस्वीकारात्मक। 60 प्रतिशत मजदूरी एवं 40 प्रतिशत सामग्री में खर्च करने का बंधेज प्रत्येक कार्य योजना पर नहीं है, अपितु ग्राम पंचायत द्वारा लिये गए सभी योजनाओं अंतर्गत कार्यों में कुशल और अर्द्धकुशल श्रमिकों का मजदूरी सहित सामग्री मद की राशि ग्राम पंचायत स्तर पर 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मनरेगा के तहत पंचायत को आवंटित कुल राशि से 60 प्रतिशत मानव कार्य दिवस का सृजन करने एवं 40 प्रतिशत सामग्री में राशि खर्च कर ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची और पक्की आधारभूत संरचनाएँ खड़ी करने के लिए संबंधित विभाग को दिशा–निर्देश देना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर की कंडिका – 1 के अनुरूप। इसके अतिरिक्त विभागीय पत्रांक – (N)82(अनु०) दिनांक 16.01.2015 द्वारा सभी जिलों को पत्र प्रेषित है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक – 11–320/वि०स०/2015/ग्रा०वि० – (N) 1938 राँची, दिनांक 24.8.15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक 2141 दिनांक 17.8.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(परितोष उपाध्याय) 24/08/15
विशेष सचिव।

ज्ञापांक – 11-320/वि०स०/2015/ग्रा०वि० – (N) 1938 राँची, दिनांक 24.8.15

प्रतिलिपि :– श्री ताला मराण्डी, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा के आप्त सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव / माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा – IV) ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/8/15

विशेष सचिव।

65

श्री निरल पुरती, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 पथ–11

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री निरल पुरती, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है, कि मझगाँव विधान–सभा क्षेत्र अन्तर्गत मंझारी प्रखण्ड के तुँगा से मानवीर उडिसा जाने वाली पथ पर बलिसिन्दरी नदी में पुल का निर्माण नहीं हुआ है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पुल का निर्माण होने से कुमारडुँगी मंझारी होते हुए उडिसा को जोड़ेगी ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित स्थल पर पुल निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	वर्ष 2015–16 में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त प्राथमिकता सूची के आधार पर एक योजना "कुमारडुँगी प्रखण्ड अंतर्गत देवघर से परमसदा जाने वाली पथ में देवघर नदी पर पुल निर्माण" का डी0पी0आर0 तैयार कराया जा रहा है। सीमित बजट उपबंध रहने के कारण तारांकित प्रश्न सं0 पथ–11 में वर्णित पुल के निर्माण की स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–282/2015/ग्रा0का0 2842 राँची, दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2314 वि0स0 दिनांक 20.08.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/8/15

(योगेश चन्द्र सिंहकु)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–282/2015/ग्रा0का0 2842 राँची, दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/8/15

सरकार के उप सचिव

(66)

श्री जय प्रकाश सिंह भोगता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.08.2015 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–न–02 का उत्तर सामग्री :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि चतरा शहर के मेन रोड की नालियाँ का रख–रखाव एवं निर्माण कार्य नहीं होने से शहरवासियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या सरकार चतरा शहर की मुख्य पथ की नालियों की मरम्मति एवं निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि चतरा शहर के मेन रोड राष्ट्रीय उच्च पथ के अधीन है। नगर परिषद, चतरा के पत्रांक–909, दिनांक–11.08.2015 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ चतरा को NH रोड के दोनों छोर की नाली निर्माण एवं सड़क मरम्मति हेतु अनुरोध किया गया है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5 / न०वि० / तारांकित–38 / 2015 – 3034 दिनांक– 25-08-15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा के पत्रांक–2046 दिनांक–13.08.2015 को 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 25/8/15
सरकार के उप सचिव।

(67)

श्री फूलचन्द मंडल, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–न०–04 का उत्तर सामग्री

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
01.	क्या यह बात सही है कि धनबाद नगर निगम का विस्तारीकरण हेतु सिन्दरी विधान–सभा क्षेत्र के बरवाअड्डा एवं गोविन्दपुर क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों को जोड़ने की बात प्रस्तावित है ;	नगर निगम, धनबाद के बोर्ड में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है।
02.	क्या यह बात सही है कि बरवाअड्डा एवं गोविन्दपुर क्षेत्रों में निवास कर रहे लोग पूर्णतः कृषि पर आधारित एवं मजदूर वर्ग के है तथा यहाँ के लोग नगर निगम के दर्जा दिये जाने पर होल्डिंग टैक्स, जल कर शुल्क, विद्युत शुल्क आदि का भुगतान करने में असमर्थ है ;	धनबाद नगर निगम क्षेत्र का विस्तार का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। अतः होल्डिंग टैक्स इत्यादि की बात प्रासंगिक नहीं है।
03.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या राज्य सरकार बरवाअड्डा एवं गोविन्दपुर क्षेत्र को नगर निगम धनबाद में शामिल करने का प्रस्ताव खारिज करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं ?	इस कंडिका का उत्तर कंडिका–1 में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–4/न०वि०/तारा०–105/2015– 3102 न०वि०/राँची, दिनांक– 25-08-15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०– 2144 दिनांक–17.08.15 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/8/2015

(राम नारायण प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

(68)

श्री आलोक कुमार चौरसिया, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक 26.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० ग्राम–04 का उत्तर प्रतिवेदन ।

क्र० सं०	प्रश्नकर्ता – श्री आलोक कुमार चौरसिया, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता– श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री (ग्रा०वि०वि०)
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के डाल्टनगंज, सतबरवा, चैनपुर तथा भण्डरिया प्रखण्डों में सरयू एक्शन प्लान के तहत् गरीबों को आवास दिया गया है ।	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त प्रखण्डों में दिये गये आवासों का द्वितीय किस्त बाकी है, जिसके कारण आवासों को पूर्ण निर्माण नही हो पाया है ।	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों की उत्तर स्वीकरात्मक है, तो क्या सरकार अधूरे पड़े आवासों को पूर्ण कराने हेतु बकाया राशि भुगतान करने का विचार रखती है हो, तो कब तक, नही तो क्यों ?	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से द्वितीय किस्त केन्द्रांश की राशि अप्राप्त रहने के कारण केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि विमुक्त नही किया जा सका है। वर्त्तमान में सभी जिला को इंदिरा आवास योजना अंतर्गत unspent balance से लंबित आवासों को पूर्ण कराने का निदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2015–16 की राशि से लंबित आवास को पूर्ण करने का निदेश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक 4475
ग्रा०वि० 08–वि०स०–61 / 2015

दिनांक 25.8.15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०– 2050 / वि०स० दिनांक 13.08.2015 के क्रम में 200 प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/8/15

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक 4475
ग्रा०वि० 08–वि०स०–61 / 2015

दिनांक 25.8.15

प्रतिलिपि :– श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री (ग्रा०वि०वि०) के आप्त सचिव / श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स०वि०स० के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/8/15

सरकार के अवर सचिव

(69)

श्री मनीष जायसवाल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक-26.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0-ग्राम-23 का उत्तर सामग्री :-

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री मनीष जायसवाल, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि राज्य के ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता राज्य के ही राष्ट्रीय उच्च पथ निर्माण के गुणवत्ता की तुलना में बहुत ही निम्न है;	1. अस्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड-01 में वर्णित ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता निम्न होने के कारण उक्त सड़कें 02 से 03 वर्षों में ही जर्जर होने लगती है;	2. अस्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि राज्य में ग्रामीण सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता नियत्रंण का माप-दण्ड नही होने के कारण ही उक्त सड़कें खण्ड-02 में वर्णित वर्षों में ही जर्जर हो रही है;	3. अस्वीकारात्मक।
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बन रहे सड़कों की गुणवत्ता राष्ट्रीय उच्च पथ निर्माण की गुणवत्ता जैसी करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	4. ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत पथों की विशिष्टियों में संशोधन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक-05 (वि0स0-12)-1054/15 ग्रा0का0वि0 2852 राँची/दिनांक- 25-8-15
प्रतिलिपि-अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक-2318, दिनांक-20.08.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-05 (वि0स0-12)-1054/15 ग्रा0का0वि0 2852 राँची/दिनांक- 25-8-15
प्रतिलिपि-मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-05 (वि0स0-12)-1054/15 ग्रा0का0वि0 2852 राँची/दिनांक- 25-8-15
प्रतिलिपि-प्रशाखा-5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25.8.15
सरकार के उप सचिव।

70

श्रीमती जोबा माझी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.08.2015 को पूछा जानेवाला

तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–05 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती जोबा माझी, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मनोहरपुर, गोईलकेरा, सोनुवा एवं आनन्दपुर प्रखण्ड के सड़कों को N.P.C.C द्वारा माह नवम्बर, 2014 से निर्माण कार्य बन्द है;	1. आंशिक स्वीकारात्मक। प्रश्नगत क्षेत्र में अबतक स्वीकृत 78 योजनाओं में से 20 पूर्ण हो गयी है।
2. क्या यह बात सही है कि N.P.C.C द्वारा उक्त प्रखण्डों के सभी सड़के अधूरे रहने के कारण आवागमन में दिक्कतें हो रही है;	2. आंशिक स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा N.P.C.C एजेंसी पर कार्रवाई की गई है;	3. अस्वीकारात्मक
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्डों के सड़कों को N.P.C.C एजेंसी द्वारा बन्द कार्य को शीघ्र चालू करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	4. ससमय आवंटन उपलब्ध नहीं होने के कारण एन0पी0सी0सी0 द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति धीमी है। भारत सरकार से पर्याप्त आवंटन प्राप्त होने पर सभी योजनाओं को चालू/पूर्ण करने की कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1021/15 ग्रा0का0वि 2859 राँची/दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2052, दिनांक–13.08.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.8.15

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1021/15 ग्रा0का0वि 2859 राँची/दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25.8.15

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1021/15 ग्रा0का0वि 2859 राँची/दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25.8.15

(71)

श्री शशि भुषण सामाड़, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं० ग्राम–07

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री शशि भुषण सामाड़, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर प्रखण्ड के हतनातोड़ंग पंचायत में मुजूसाई हतनातोड़ंग के शकोया नदी पर पुल का निर्माण आज तक नहीं हुआ है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड –1 में वर्णित वर्णित पुल नहीं होने के कारण आम ग्रामीणों एवं छात्र–छात्राओं को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित नदी पर पुल का निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	वर्ष 2015–16 में माननीय स०वि०स० से प्राप्त प्राथमिकता सूची के आधार पर एक योजना "चक्रधरपुर प्रखण्ड के होयोहातु पंचायत अंतर्गत झरझरा–होयोहातु के बीच में बाईडीह टोला के ब्रहामनी नदी पर हाई लेवल पुल का निर्माण" का डी०पी०आर० तैयार कराया जा रहा है। सीमित बजट उपलब्ध रहने के कारण तारांकित प्रश्न सं० ग्राम–07 में वर्णित पुल के निर्माण की स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांकः– 7 (वि०स०)–267 / 2015 / ग्रा०का० 2814 राँची, दिनांक– 22.8-15

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र0–2139 वि०स० दिनांक 17.08.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 22/8/15

(योगेश चन्द्र सिंहक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि०स०)–267 / 2015 / ग्रा०का० 2814 राँची, दिनांक– 22-8-15

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 22/8/15

सरकार के उप सचिव

(72)

श्रीमती निर्मला देवी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–पथ–04 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती निर्मला देवी, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत प्रखण्ड केरेडारी अन्तर्गत गरीकला से बेलतू होते हुए पहरा तक का मार्ग बहुत ही जर्जर स्थिति में है;	1. आंशिक स्वीकारात्मक। गरीकला से बेलतू 4.50 कि0मी0 की मरम्मति वर्ष 2011–12 में कराया गया था। बेलतू से पहरा तक 4.00 कि0मी0 सम विकास योजना द्वारा कराया गया था।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त जर्जर पथ के कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफी असुविधा हो रही है;	2. आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस पथ का कालीकरण तथा पथ निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3. विभागीय निर्धारित नीति के आलोक में मा0 सदस्या द्वारा अनुशंसित पथ स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। माननीय सदस्या की अनुशंसा सूची में उक्त पथ शामिल नहीं है। सीमित बजटीय उपबंध एवं निर्धारित नीति के आलोक में वर्णित पथ के निर्माण का निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1048 / 15 ग्रा0का0वि0 2847 राँची / दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2146, दिनांक–17.08.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1048 / 15 ग्रा0का0वि0 2847 राँची / दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1048 / 15 ग्रा0का0वि0 2847 राँची / दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25.8.15
सरकार के उप सचिव।

(73)

श्री रवीन्द्र नाथ महतो, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–26.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–न–01 का उत्तर सामग्री :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि नगर विकास विभाग ज्ञापांक–5/न०वि०/तारांकित/13/2015–958, दिनांक–16.03.15 द्वारा हरमू हाउसिंग कॉलोनी नियर साकेत बिहार के पास L-1 से L-38 तक नाली एवं स्लैब शीघ्र निर्माण करने हेतु, राँची नगर निगम को निर्देश के साथ राशि भी आवंटित की गई थी;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि लगभग 6 माह बीतने के बावजूद अभी तक नाली एवं स्लैब का निर्माण राँची नगर निगम द्वारा नहीं किया गया है जिससे वहाँ के निवासियों को काफी कठिनाई हो रह है;	स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त नाली एवं स्लैब का निर्माण शीघ्र कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राँची नगर निगम के प्रतिवेदनानुसार प्रसंगाधीन योजना का प्राक्कलन तैयार कर निगम बोर्ड की बैठक में पारित करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। राँची नगर निगम को विभाग स्तर से प्रतिवर्ष राज्य योजना अन्तर्गत नागरिक सुविधा मद में राशि उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में राँची नगर निगम को नागरिक सुविधा मद में कुल 90,03,105/–रू०(नब्बे लाख तीन हजार एक सौ पाँच रूपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति दी जा चूकी है। उक्त राशि से राँची नगर निगम द्वारा उक्त योजना का कार्यान्वयन कर सकता है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5/न०वि०/तारांकित–39/2015 -3095. दिनांक– 25-08-15.

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा के ज्ञाप सं०–2045 दिनांक–13.08.2015 को 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/8/2015
सरकार के उप सचिव।

(71)

श्री अमित कुमार, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–ग्राम–16

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अमित कुमार, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि राज्य के एक विधायक को सिर्फ 10 कि०मी० राज्य संपोषित सड़क निर्माण योजना अन्तर्गत अनुशंसा करने का अधिकार है;	1. विभागीय नीति का निर्धारण उपलब्ध बजटीय उपबंध एवं गत वित्तीय वर्षों के दायित्व व लोकहित के आलोक में किया जाता है। तदनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में मा० विधायक द्वारा अनुशंसित 10 कि०मी० औसतन पथ निर्धारित किया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि विधायक को मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना अन्तर्गत एक पुल अनुशंसा करने का अधिकार है;	2. उपलब्ध निधि, विगत वर्षों के दायित्व एवं जनहित के आलोक में मा० विधायक द्वारा एक पुल की अनुशंसा ली गई है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अनुशंसा करने की संख्या एवं दूरी में वृद्धि करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3. निधि की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–1033/15 ग्रा०का०वि० 2777 राँची/दिनांक– 21-8-15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2158, दिनांक–17.08.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–1033/15 ग्रा०का०वि० 2777 राँची/दिनांक– 21-8-15

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

20.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–1033/15 ग्रा०का०वि० 2777 राँची/दिनांक– 21-8-15

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

20.8.15
सरकार के उप सचिव।

श्री फूलचन्द मण्डल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–ग्राम–12

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री फूलचन्द मण्डल, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के सिन्दरी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत गोविन्दपुर एवं बलियापुर प्रखण्ड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् वित्तीय वर्ष 2000–01 से 2007–08 तक बने सभी पथों की स्थिति काफी जर्जर है;	1. स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथों के जर्जर होने से ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है;	2. स्वीकारात्मक।
3. यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या राज्य सरकार खण्ड (1) में वर्णित प्रखण्डों में पथों की मरम्मति करवाना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3. प्रथम चरण से पंचम चरण (2000–01 से 2007–08) तक की पूर्ण योजनाओं, जिनकी पूर्णता की अवधि पाँच वर्ष से ज्यादा हो गयी है उनकी संख्या–13 है। इसमें से एक पथ का प्राक्कलन स्वीकृत्योपरांत निविदा की प्रक्रिया में है। शेष का प्राक्कलन मंगाया जा रहा है आवंटन प्राप्त होने पर स्वीकृति की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–1037/15 ग्रा०का०वि० 2816 राँची/दिनांक– 22-8-15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2138, दिनांक–17.08.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–1037/15 ग्रा०का०वि० 2816 राँची/दिनांक– 22-8-15

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

22.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–1037/15 ग्रा०का०वि० 2816 राँची/दिनांक– 22-8-15

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(76)

श्री प्रकाश राम, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–पथ–02 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री प्रकाश राम, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत (1) लातेहार से हेरहंज भाया फुलसु (2) लातेहार से किस्को प्रखण्ड (लोहरदगा) भाया जालीम, रिचूघूटा पथ का निर्माण जनहित में आवश्यक है;	1. स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त दोनों पथ के निर्माण से प्रशासन एवं ग्रामीणों को लातेहार जैसे उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में आवागमन का लाभ मिलेगा;	2. स्वीकारात्मक।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त पथों का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष 2015–16 में कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3. विभागीय नीति के आलोक में मा० स०वि०स० द्वारा अनुशंसित पथ स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। माननीय सदस्य की अनुशंसा सूची में उक्त पथ शामिल नहीं है। सीमित बजटीय उपबंध एवं निर्धारित नीति के आलोक में वर्णित पथ के निर्माण का निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–1056 / 15 ग्रा०का०वि० 2856 राँची / दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2149, दिनांक–17.08.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–1056 / 15 ग्रा०का०वि० 2856 राँची / दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–1056 / 15 ग्रा०का०वि० 2856 राँची / दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25.8.15
सरकार के उप सचिव।

(११)

श्री अरूप चटर्जी, मा०स०वि०सभा० द्वारा दिनांक– 26.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 07 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के अतिमहत्वाकांक्षी योजना निरसा– गोबिन्दपुर बहु–ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना का एक वर्ष पहले ही तकनीकी स्वीकृति होने के उपरान्त भी आजतक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है ?	निरसा–गोबिन्दपुर (दक्षिणी भाग) ग्रामीण जलापूर्त्ति योजना से संबंधित प्रश्न बजट सत्र में तारांकित प्रश्न संख्या– 19 द्वारा पूछा गया था जिसका उत्तर ससमय प्रेषित कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि इस प्रखंड की कुल आबादी का लगभग 48% पाईप जलापूर्ति योजना से आच्छादित है जबकि राज्य का औसत 15% ही है। निरसा–गोबिन्दपुर प्रखण्ड अन्तर्गत बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना (दक्षिणी भाग) की स्वीकृति के निमित्त NRDWP केन्द्र प्रायेजित योजना की SLSSC में सैद्धान्तिक सहमति अक्टूबर 2014 में प्राप्त हुई थी। योजना की स्वीकृति सक्षम स्तर से 2014–15 में प्राप्त नहीं हुई है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के स्वरूप में परिवर्त्तन के क्रम में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के D.O letter No- W-1141/09/2015-Water- I दिनांक– 29.06.2015 के माध्यम से सूचित किया गया है कि चालू परियोजना (Ongoing Project) के खत्म होने तक नई योजना NRDWP अंतर्गत नहीं ली जाय। इसलिए योजना स्वीकृत नहीं हो सकी। NRDWP के तहत विभिन्न SLSSC में काफी योजनाओं की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है। उपलब्ध संसाधन के अनुरूप ही योजना की प्रशासनिक स्वीकृति होती थी।
2	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त योजना पर निर्माण कार्य प्रारंभ करवाने की मंशा रखती है हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	राज्य सरकार के संकल्प ज्ञापांक– 301 दिनांक– 11.03.2105 के कम में क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान में रखकर योजना का चयन किया जाता है। इसी के अनुरूप इसपर भी विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
<u>पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।</u>

ज्ञापांक :– 7/ता0प्र0– 01–04/2015– 3762 /राँची, दिनांक :– 24/8/15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 1984 दिनांक– 13.04.2015 के कम में 25 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/15

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।
24/08/15

78

श्री कुणाल षाडंगी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं० पश–10

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री कुणाल षाडंगी, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है, कि पूर्वी सिंहभूम जिला के अन्तर्गत गुड़ाबन्दा प्रखण्ड एवं बहरागोड़ा प्रखण्ड को जोड़ने के लिए स्वर्णरेखा नदी पर पुल निर्माण का कार्य चार वर्ष शुरू किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पुल हेतु प्राक्कलन की राशि 18 करोड़ रूपये थी एवं इसे दो वर्ष में पूर्ण किया जाना था लेकिन अभी तक अधूरा पड़ा है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नांकित पुल की प्राक्कलित राशि रू० 14,08,31,000.00 (रू० चौदह करोड़ आठ लाख इकतीस हजार) थी तथा एकरारनामा के अनुसार दो वर्षों में पुल को पूर्ण किया जाना था।
3. उक्त पुल के निर्माण नहीं होने से आवागमन में बड़ी कठिनाई होती है ;	स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त पुल के निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने हेतु दोषि पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई के साथ शीघ्र अधूरा कार्य को पूर्ण करने पर विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	एकरारित अवधि तक प्रश्नांकित पुल का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण संवेदक के एकरारनामा को विखण्डित करने हेतु उक्त कार्य की अंतिम मापी ली जा चुकी है। संवेदक के फर्म को काली सूची में डाले जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। संवेदक के एकरारनामा को विखण्डित करते हुए अवशेष भाग का डी०पी०आर० तैयार कर इसके निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की कार्रवाई की जायेगी। कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक के एकरारनामा को विखण्डित करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दिये जाने की स्थिति मे किसी पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांक:– 7 (वि०स०)–281 / 2015 / ग्रा०का० 2850 राँची, दिनांक– 25.8.15

प्रतिलिपि:– अवर, सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र0–2254 वि०स० दिनांक 19.08.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/8/15
(योगेश चन्द्र सिंहक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि०स०)–281 / 2015 / ग्रा०का० 2850 राँची, दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

मानीय विधायक प्रो. जयप्रकाश वर्मा, मा. स. वि. स. द्वारा दिनांक 26.08.2015 को पूछे जाने वाला ...रांकित प्रश्न सं. पेय – 06 का उत्तर

<table>
<tr><td>क्र० सं.</td><td>क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–</td><td>श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाले उत्तर–</td></tr>
<tr><td>1</td><td>इस वित्तीय वर्ष में गिरिडीह जिलान्तर्गत गाण्डेय, बेंगाबाद और गिरिडीह (मु.) प्रखंडों के कितने चापाकल लगाए गए हैं एवं कितने गाँवों में चापाकल की नितांत आवश्यकता है;</td><td>वस्तुस्थिति यह है कि भारतीय मानक 150 व्यक्ति पर एक चापाकल के आधार पर तीनों प्रखण्ड में पर्याप्त संख्या में चालू चापाकल है। विवरण निम्न है:–
<table>
<tr><th>क्र० सं०</th><th>प्रखण्ड का नाम</th><th>आबादी</th><th>चालु चापाकल की सं०</th><th>प्रति चापाकल लाभान्वित व्यक्तियों की सं०</th><th>अभ्युक्ति</th></tr>
<tr><td>1</td><td>गाण्डेय</td><td>136289</td><td>1815</td><td>75</td><td rowspan="3">भारतीय मानक 150 व्यक्ति पर 1 चापाकल से अधिक है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>बेंगाबाद</td><td>118914</td><td>1761</td><td>68</td></tr>
<tr><td>3</td><td>गिरिडीह (प्रखण्ड)</td><td>92113</td><td>1033</td><td>89</td></tr>
</table>
(1) इसके अलावे गाण्डेय प्रखण्ड में 11 अदद लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना एवं 1 अदद बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना द्वारा जलापूर्ति की जाती है।
(2) बेंगाबाद में 7 अदद लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना एवं 1 अदद बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना द्वारा जलापूर्ति की जाती है।
(3) गिरिडीह प्रखण्ड (मु0) में 4 अदद लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना एवं 1 अदद बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना द्वारा जलापूर्ति की जाती है।
उक्त से स्पष्ट है कि पर्याप्त जलस्रोत/सुविधा मानक से ज्यादा उपलब्ध है। नये चापाकल की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
आपदा प्रबंधन के अधीन गिरिडीह जिले को रु. 3,70,76000 (तीन करोड सत्तर लाख छिहत्तर हजार रुपये) का लक्ष्य निर्धारित कर, आवश्यकतानुसार जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकार (DDMA) की बैठक में कारवाई करना है। उपायुक्त के स्तर पर कारवाई की जा रही है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों के गाँवों मे चापाकल लगाने की विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?</td><td>कंडिका क्रम सं0–01 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।</td></tr>
</table>

झारखंड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक: 8/ता. प्र. सं. 20/2015 3765 दिनांक 24/8/15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय के ज्ञापांक 2152 दिनांक 17.08.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

श्री नागेन्द्र महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–11

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री नागेन्द्र महतो, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के बगोदर प्रखण्ड स्थित औंरा से खेतको ग्राम तक पथ जर्जर अवस्था में अवस्थित है। उक्त पथ का निर्माण विगत 10 वर्ष पूर्व हुआ है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–(1) में वर्णित जर्जर पथ ग्रामीणों के आवागमन के लायक नहीं होने के कारण, आवागमन बाधित है एवं ग्रामीणों के आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–(1) में वर्णित जर्जर पथ का जनहित में शीघ्रातिशीघ्र मरम्मतिकरण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	मरम्मति मद में सीमित बजटीय उपबंध है। विगत वर्षों का दायित्व भुगतान के बाद नीति निर्धारण के आलोक में निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–1036 / 15 ग्रा०का०वि० 2817 राँची / दिनांक– 22-8-15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को 250 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2134, दिनांक–17.08.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 22.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–1036 / 15 ग्रा०का०वि० 2817 राँची / दिनांक– 22-8-15

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह०) 22.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–1036 / 15 ग्रा०का०वि० 2817 राँची / दिनांक– 22-8-15

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह०) 22.8.15
सरकार के उप सचिव।

(31)

श्री नारायण दास, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–25 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री नारायण दास, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि देवघर जिला के देवीपुर प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम पुर्णाडीह में पतरो नदी पर पुल नहीं होने के कारण दर्जनों पंचायत आवागमन की सुविधा से वंचित है, जिसकी मांग वर्षों से होते आ रही है;	1. स्वीकारात्मक। देवघर जिला के देवीपुर प्रखण्ड अन्तर्गत पुर्णाडीह में जोरिया नदी में पुल नहीं है।
2. क्या यह बात सही है कि देवघर जिला के देवघर प्रखण्ड अन्तर्गत सातर खोरपो पंचायत के चित्तो लोढ़िया दुर्गा मंदिर से जोगीडीह तक आर0ई0ओ0 पथ जर्जर अवस्था में है;	2. स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि देवीपुर प्रखण्ड के बाघमारी पंचायत अन्तर्गत बिरनियां पुल से ग्राम बुढ़ई तक आर0ई0ओ0 पथ एवं पंचायत जीतजोरी–चित्तो, नोढ़िया–संग्राम नोढ़िया–देवसंघ तक आर0ई0ओ0 पथ–सह–पुलिया जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है;	3. आंशिक स्वीकारात्मक। जीतजोरी से संग्राम लोढ़िया 7.20 कि0मी0 अच्छी स्थिति में है। संग्राम लोढ़िया से देवसंघ पथ की मरम्मति प्रक्रियाधीन है।
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पुल के साथ–साथ आर0ई0ओ0 पथों के निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	4. चालू वित्तीय वर्ष में विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में प्रति माननीय स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित औसतन 10 कि0मी0 पथ व एक पुल लिया जा रहा है। उक्त अनुशंसा सूची में प्रश्नाधीन पुल व पथ शामिल नहीं है। सीमित बजटीय उपबंध एवं निर्धारित नीति के आलोक में वर्णित पथ के निर्माण का निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1055 / 15 ग्रा0का0वि0 2854 राँची / दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2317, दिनांक–20.08.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25·8·15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1055 / 15 ग्रा0का0वि0 2854 राँची / दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25·8·15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1055 / 15 ग्रा0का0वि0 2854 राँची / दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(82)

माननीय विधायक श्री बादल, मा. स. वि. स. द्वारा दिनांक 26.08.2015 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं. पेय – 09 का उत्तर

क्रम सं.	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाले उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि मुख्य अभियंता–सह–कार्यकारी निदेशक, राज्य जल एवं स्वच्छता विभाग (पी.एम.यू.) द्वारा फरवरी–2014 में अनुबंध के आधार पर नियुक्त 110 प्रखंड लोक स्वास्थ्य अभियंताओं के सेवावधि विस्तार करने के संबंध में दिनांक 02.08.2014, पत्रांक 1210 एवं दिनांक 31.10.2014, पत्रांक–1625 में सभी अधीक्षण एवं कार्यपालक अभियंता से प्रतिवेदन माँग की गयी;	वस्तुस्थिति यह है कि प्रखंड लोक स्वास्थ्य अभियंताओं को छः माह की नियत अवधि के लिए पूर्ण औपबंधिक रूप से वर्ष 2014 में VWSC द्वारा 17,222 अदद् सोक पिट निर्माण में टेकनो–मैनेजिरियल सपोर्ट हेतु चयन किया गया था। इन्हें प्रतिमाह न्यूनतम 20 अदद् सोकपिट का निर्माण अनुमोदित नक्शा एवं प्राक्कलन के अनुरूप करना था। प्रत्येक माह इस लक्ष्य से कम प्राप्ति पर समानुपातिक कटौती की जानी थी। यह मुख्य अभियंता –सह–कार्यकारी निदेशक, पी.एम.यू. के कार्यालय आदेश 917/B-Part/20/258 दिनांक 17.02.14 से स्पष्ट है। इस कार्य के समाप्त हो जाने से इनकी सेवा स्वतः समाप्त हो गई।
2	क्या यह बात सही है कि सभी अधीक्षण एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रखंड लोक स्वास्थ्य अभियंताओं के सेवावधि विस्तार हेतु प्रतिवेदन देने के बाद भी अब तक सेवावधि विस्तार संबंधी विभागीय आदेश निर्गत नहीं हो पाया है, जिससे विकास कार्य बाधित है;	कंडिका 1 में स्थिति स्पष्ट है। वर्तमान में इसकी कोई आवश्यकता एवं औचित्य नहीं है।
2	यदि उपर्युक्त प्रश्न खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्रखंड लोक स्वास्थ्य अभियंताओं के सेवावधि विस्तार संबंधी विभागीय आदेश निर्गत करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। यह मामला विचारणीय नहीं है।

झारखंड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक:8/तारा. प्र. 23/2015 3755 दिनांक 24/8/15

प्रतिलिपिः झारखंड विधानसभा सचिवालय के ज्ञापांक 2258 दिनांक 19.08.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(83)

श्रीमती विमला प्रधान, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–ग्राम–27 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती विमला प्रधान, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि गुमला जिला के प्रखण्ड पालकोट में एन०एच०–23 सेमरा से कोंडटेकेला होते हुए मुड़मा तक, डहुडाड से टेंगरिया तक एवं दामकारा से सारूबेडा तक सड़क निर्माण कार्य अधूरा है, जिसके कारण जनता को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	1. स्वीकारात्मक।
2. यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोषी पदाधिकारियों एवं संवेदक पर कार्रवाई एवं सड़क का निर्माण पूरा कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	2. पथ योजना पूर्ण करने हेतु संवेदकों को निदेशित किया गया है। पी०डब्ल्यू०डी० कोड, एस०बी०डी० के आलोक में संवेदकों पर समुचित कारवाई करते हुए सड़क निर्माण कराया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–1052/15 ग्रा०का०वि० 2857 राँची/दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2319, दिनांक–20.08.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–1052/15 ग्रा०का०वि० 2857 राँची/दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–1052/15 ग्रा०का०वि० 2857 राँची/दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25.8.15
सरकार के उप सचिव।

(84)

श्री राज कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–पथ–08 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री राज कुमार यादव, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत आर0ई0ओ0 पथ बलहरा से पिहरा तक 44 कि0मी0 जर्जर है;	1. स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि पथ जर्जर होने के कारण आस–पास के गाँव के लोगों को आवागमन में काफी परेशानी उठानी पड़ती है;	2. स्वीकारात्मक।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त पथ का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3. प्रश्नाधीन पथ, पथ निर्माण विभाग में हस्तानान्तरण हेतु प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1058/15 ग्रा0का0वि0 2838 राँची/दिनांक– 25-8-15
प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2253, दिनांक–19.08.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1058/15 ग्रा0का0वि0 2838 राँची/दिनांक– 25-8-15
प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1058/15 ग्रा0का0वि0 2838 राँची/दिनांक– 25-8-15
प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25.8.15
सरकार के उप सचिव।

(86)

दिनांक–26.08.2015 को श्री विदेश सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–17

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है ग्रामीण विकास विभाग, झा0, राँची का प0–6581 दि0–......पत्रांक–7375 दि0–16.12.11 पत्रांक–1201 दि0–22.03.12 बी0सी0 प्रखण्ड सृजन 270/2005 ग्रा0वि0 1976 के आलोक में पलामू जिलान्तर्गत पांकी प्रखण्ड से अलग कर लोहरसी प्रखण्ड के सृजन के सम्बन्ध में प्रमण्डलीय आयुक्त, पलामू से मंतव्य मांगा गया था;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। विभागीय पत्रांक–1976 दि0–22.03.2012 द्वारा लोहरसी प्रखण्ड सृजन के प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में सभी प्रक्रिया पूर्ण कर प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया गया है। शेष पत्रांकों द्वारा सभी उपायुक्तों को समीक्षोपरान्त आवश्यकतानुसार प्रखण्ड सृजन का प्रस्ताव भेजने का निदेश प्रेषित है।
2. क्या यह बात सही है कि प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा विगत 2014 में लोहरसी प्रखण्ड के सृजन के सम्बन्ध में अपनी अनुशंसा ग्रामीण विकास विभाग को भेजी गयी थी;	स्वीकारात्मक वर्तमान पांकी प्रखण्ड में 25 पंचायत हैं जिनमें से मात्र 5 पंचायत को अलग कर लोहरसी प्रखण्ड सृजन का प्रस्ताव प्राप्त है।
3. क्या यह बात सही है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से व्यवस्था सुलभ सुविधा आम ग्रामीण जनताओं तक पहुँचाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है;	ग्रामीण जनता को आवश्यक सुविधाएं पहुँचाई जा रही है।
4. यदि उपरोक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कब तक 10 पंचायतों को मिला कर लोहरसी को नया प्रखण्ड बनाने का विचार रखती है; यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रखण्ड सृजन हेतु मापदण्डों के निर्धारण पर नीतिगत निर्णय प्रक्रियाधीन है। तदनुसार समुचित निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक– 1–वि0स0–63 (बी0)/2015/ग्रा0वि0 4400 राँची, दिनांक–22.8.15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–2159 दिनांक–17.08.2015 के क्रम में उत्तर सामग्री की 200 प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 22/8/15
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 1–वि0स0–63 (बी0)/2015/ग्रा0वि0 4400 राँची, दिनांक–22.8.15

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 22/8/15
सरकार के अवर सचिव।

(87)

श्री सत्येन्द नाथ तिवारी मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक – 26.08.2015 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–पेय– 08 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री चन्द प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर:–
1. क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला अंतर्गत 37 करोड़ की लागत से गढ़वा शहरी जलापूर्ति का कार्य 15 फरवरी 2015 तक पूरा करना था जिसके अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण करीब 35% भूमि का मुआवजा किसानो को मिल गया है और 65% भूमि का मुआवजा किसानो को मुआवजा नही मिलने से काम बाधित है।	वस्तु स्थिति यह है कि – (i) गढ़वा जिला के गढ़वा शहरी क्षेत्र के लिए पाईप जलापूर्ति योजना के पुनर्गठन का कार्य 13.02.2013 को रू0 36.7330 लाख (रू0 छतीस करोड तिहत्तर लाख तीस हजार) योजना की लागत से आरम्भ की गई है। योजनो 12.02.2015 तक पूर्ण कराना था। यह कार्य पेयजल एवं स्व0 विभाग द्वारा जमा शीर्ष अंतर्गत कराया जा रहा है। (ii) इस योजना के WTP (जल शोध संस्थान) के लिए चयनित स्थल सोनपुरवा मुहल्ला एवं जलग्राही कूप निर्माण हेतु मेढ़ना कला ग्राम के लिए भू–अर्जन अंतर्गत कार्रवाई पूर्ण कर भूमि हस्तगत नहीं कराई गई है। भू–अर्जन को पूर्ण राशि रू0 269.96 लाख (रू0 दो करोड़ उन्हत्तर लाख अन्तानबे हजार) जिला भू–अर्जन को उपलब्ध कराई जा चुकी है। (iii) योजना के उक्त अवयवो के लिए जमीन अबतक उपलब्ध नहीं करायी गयी है। स्थानीय प्रशासन द्वारा जमीन उपलब्ध कराने के उपरांत उसपर कार्य प्रारंभ कर दी जायेगी। (iv) शेष विष्णुपर में विद्युत कार्यालय परिसर में जलमीनार 45% एवं सम्प 95%, टंडवा मे जलमीनार 49% उंचरी बाजार समिति में जलमीनार 22% एवं सम्प 5% साथ ही पाईप लाईन Raw water rising main-27.41%, Clear water rising main -72.90 % एवं अन्य कार्य प्रगति पर है।
1. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 मे वर्णित योजना में अभी तक मात्र 35% ही काम हुआ है और 65% काम बाकी है जिससे आम जनता जलापूर्ति से बंचित है।	कंडिका –1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी का बार–बार स्थानान्तरण/पदस्थापन के कारण भुगतान लम्बित रहने की सूचना है। भुगतान का कार्य अंतिम चरण में होने की सूचना है। शीघ्र भुगतान होने की सूचना दी गई है।
2. यदि उपरोक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित योजना को अविलम्ब पूरा कराकर जलापूर्ति सुनिश्चित करते हुए अधुरे कार्यों के लिए जिम्मेदार पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	स्थानीय प्रशासन द्वारा भूमि उपलब्ध कराये जाने के पश्चात अन्य अवयवों का कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

ज्ञापांक :– 7/ता0 प्र0–02–07/2015– 3759 /राँची, दिनांक :– 24/8/15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 2259 वि0 स0 दिनांक– 19.08.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेश प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

24/08/15

(88)

दिनांक–26.08.2015 को श्री कुणाल षाडंगी, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला
तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–20

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है के पूर्वी सिंहभूम जिला के अन्तर्गत गुड़ावन्दा प्रखण्ड का निर्माण चार वर्ष पूर्व हुआ है एवं यह क्षेत्र अब तक प्रभावित है;	पूर्वी सिंहभूम जिला के अन्तर्गत गुड़ाबांधा प्रखण्ड का सृजन वर्ष 2008 में हुआ है एवं उक्त तिथि से प्रखण्ड कार्यालय कार्यरत है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्ड में एकमात्र पदाधिकारी (प्रखण्ड विकास पदाधिकारी) पदस्थापित हैं;	अस्वीकारात्मक है। गुड़बांधा प्रखण्ड में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पूर्व से पदस्थापित है। प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं लेखा सहायक का पदस्थापन स्थाई रूप से कर दिया गया है। घालभूमगढ़ एवं बहरागोड़ा प्रखण्ड तथा जिला स्तर से कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही स्थाई पदस्थापन हेतु सम्बन्धित विभाग से अनुरोध किया गया है।
3. क्या यह बात सही है कि अन्य अधिकारी के पदस्थापन नहीं रहने के कारण विकास का अभी कार्य अवरूद्ध है;	प्रखण्ड में प्रतिनियुक्त कर्मियों/पदाधिकारियों के कारण सभी विकास कार्य सम्पन्न कराये जा रहे हैं अतएव कोई विकास कार्य अवरूद्ध नहीं है।
4. यदि उपरोक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त प्रखण्ड में संबंधित पदाधिकारियों को पदस्थापित करने का विचार रखती है; यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक–6856 दि0–21.10.2008 द्वारा पू0 सिंहभूम जिलान्तर्गत नवसृजित प्रखण्ड गुड़ाबांधा में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, पंचायत राज पदाधिकारी, लिपिक, चालक एवं आदेशपाल सहित कुल 11 पदों का सृजन किया गया है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक– 1–वि0स0–67 (बी0)/2015/ग्रा0वि0 4477 राँची, दिनांक– 25.8.15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–2256 दिनांक–19.08.2015 के क्रम में उत्तर सामग्री की 200 प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/8/15

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 1–वि0स0–67 (बी0)/2015/ग्रा0वि0 4477 राँची, दिनांक– 25.8.15

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/8/15

सरकार के अवर सचिव।

89

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा से प्राप्त दिनांक–26.08.2015 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–न–03 का उत्तरः–

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला मुख्यालय स्थित गढ़वा नगरपालिका क्षेत्र में सिवरेज ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था नहीं है;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित सिवरेज एवं ड्रेनेज के अभाव में बरसात के दिनों में नगरपालिका क्षेत्र नदी में तबदील हो जाती है, सड़कें और कई घर जलमग्न हो जाते हैं और लोग घर छोड़कर बाहर पलायन करने को बाध्य हो जाते है;	स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गढ़वा नगरपालिका क्षेत्र के सभी वार्डों में सिवरेज एवं ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था अविलम्ब कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	विभाग द्वारा नगर निकायों को प्रतिवर्ष राशि उपलब्ध करायी जाती है। उक्त राशि से नगर निकाय द्वारा ड्रेनेज की व्यवस्था की जा सकती है। विगत वित्तीय वर्ष 2014–15 में सिवरेज ड्रेनेज मद में कुल 74,51,094/–(चौहत्तर लाख एकावन हजार चौरानबे) रू0 अनुदान की राशि विमुक्त की गई है। उक्त राशि से गढ़वा नगर पंचायत द्वारा नियमानुसार योजना का कार्यान्वयन किया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग

ज्ञापांक–5/न0वि0/तारांकित–40/2015-3087 रॉंची, दिनांक–25-08-15.

प्रतिलिपि–: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा के पत्रांक–2145 दिनांक–17.08.2015 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

25/8/2015

सरकार के उप सचिव

(90)

श्री दीपक बिरूवा मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक – 26.08.2015 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–पेय– 12 का उत्तर :–

	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर:–
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत खूंटपानी प्रखण्ड के तोरसिन्दरी स्थित एकलव्य विद्यालय में दो मंजिला छात्रावास 01 करोड़ की लागत से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियन्ता श्री हरेन्द्र मिश्रा के द्वारा निर्माण कराया जा रहा है।	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत खूंटपानी प्रखण्ड के तोरसिन्दरी स्थित एकलव्य विद्यालय में दो मंजिला छात्रावास का निर्माण रूपये 104.38220 लाख की लागत से पेयजल एंव स्वच्छता प्रमंडल, चाईबासा द्वारा निविदा के माध्यम से कार्यादेश संख्या– 625, दिनांक– 08.06.2015 एवं एकरारनामा संख्या– F2–06 (2013–14) द्वारा मेसर्स आनन्द सिंह, बोदरा हाउस, कल्याणपुर, चाईबासा द्वारा कराया जा रहा है। अद्यतन कल्याण विभाग के पत्रांक– 373/374 दिनांक– 08.02.2012 एवं समेकित जनजाति विकास अभिकरण, पश्चिम सिंहभूम के पत्रांक– 109 दिनांक– 23.03.2012 के द्वारा कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चाईबासा को कार्यान्वयन एजेन्सी बनाया गया है। इस निर्देश के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। अद्यतन रूपये 86.53 लाख आवंटन के विरूद्ध पूर्ण राशि व्यय की गई है। राशि के अभाव में कार्य बाधित है।
2	क्या यह बात सही है कि श्री मिश्रा द्वारा बिना पिलर के ही तथा चापाकल से निकाले गए जंग लगे पाईप/छड़ से निर्माण कराया जा रहा है।	अस्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कि कार्यपालक अभियन्ता से समेकित जनजाति विकास अभिकरण, राँची द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन एवं नक्शे के अनुरूप ही कार्य करने की सूचना प्राप्त है। सम्बन्धित प्राधिकार द्वारा नियमित मोनेटरिंग की जानी चाहिए। इसके अध्यक्ष उपायुक्त होते है एवं परियोजना निदेशक भा० प्र० से०/ झा० प्र० से० के वरीय पदाधिकारी होते है।
3	यदि उपरोक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्राक्कलन के विरूद्ध एवं भवन निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने वाले श्री मिश्रा के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है। कार्य गुणवत्ता की जाँच अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग से कराकर इसकी गुणवत्ता को सत्यापित कर समेकित जनजाति विकास अभिकरण पश्चिम सिंहभूम कार्रवाई करना चाहेगा।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता0प्र0–02–07/2015– 3763 /राँची, दिनांक :– 24/8/15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 2325 वि0 स0 दिनांक – 20.08.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/15

(सुरेश प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

24/8/15

(91)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–ग्राम–21 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिला के मैक्लुस्कीगंज रेलवे क्रासिंग से सरना, मायापुर, खेलारी बाजार के०डी० बाजार होते हुए अम्बेडकर चौक खलारी जानेवाला प्रमुख पथ है जो बहुत जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है;	1. स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उग्रवादी क्षेत्र को नियंत्रित करने हेतु खेलारी थाना से मैक्लुस्कीगंज थाना के वाहनों का आना–जाना भी उक्त पथ से ही होता है;	2. स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ के खराब रहने के कारण आम जनता एवं उग्रवादी गतिविधियों के लिए सुरक्षाकर्मियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है;	3. आंशिक स्वीकारात्मक। पथ के आंशिक भाग में वर्ष 2012–13 में मरम्मति कराया गया था।
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथ का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	4. विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में मा० स०वि०स० द्वारा अनुशंसित पथों की स्वीकृति दी जा चुकी है। उक्त पथ अनुशंसा सूची में शामिल नहीं है। सीमित बजटीय उपबंध एवं निर्धारित नीति के आलोक में वर्णित पथ के निर्माण का निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–1050/15 ग्रा०का०वि० 2849 राँची/दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2316, दिनांक–20.08.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–1050/15 ग्रा०का०वि० 2849 राँची/दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–1050/15 ग्रा०का०वि० 2849 राँची/दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

माननीय विधानसभा सदस्य श्री साधुचरण महतो, स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.08.15 को सदन में उठाये जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–पेय–03 की सूचना का उत्तर

क्रं	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाला उत्तर:–
1	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावाँ जिले के चाण्डिल अनुमण्डल क्षेत्र अन्तर्गत चौका, चाण्डिल बस स्टैण्ड, रघुनाथपुर एवं चाण्डिल गोलचक्कर भीड़–भाड़ वाला जगह है एवं यहाँ रोज हजारों लोगों का आना–जाना होता है;	स्वीकारात्मक इस क्षेत्र में सामान्यतः साधारण भीड़–भाड़, ट्रैफिक/बस/टैक्सी इत्यादि के कारण रहती है। यह ग्रामीण क्षेत्र है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत सामुदायिक शौचालय निर्माण का प्रावधान है। जिले में पर्याप्त राशि उपलब्ध है। मार्गदर्शिका के अनुरूप जिला जल एवं स्वच्छता समिति कार्रवाई करें। इसके अध्यक्ष उपायुक्त होते है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित स्थलों में कोई भी शौचालय स्थापित नहीं है जिससे महिलाओं एवं आम जनों को काफी परेशानी होती है;	स्थिति कंडिका–1 में स्पष्ट की गई है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त वर्णित स्थलों पर शौचालय निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	स्पष्ट कंडिका–1 में स्पष्ट की जा चुकी है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक: 8/ता0प्र0संख्या–22/2015– 3756 दिनांक 24/8/15

प्रतिलिपि: अपर सचिव झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक 2133 दिनांक 17.08.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

(93)

श्री जगरनाथ महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं० ग्राम–01

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री जगरनाथ महतो, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के नावाडीह प्रखण्ड अंतर्गत चपरी पंचायत के बेला मे पुल निर्माण नहीं होने से आवागमन मे काफी कठिनाई होती है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त स्थल पर प्रधानमंत्री रोजगार योजना के द्वारा दोनों तरफ पक्की सड़क का कार्य हो चुका है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त स्थल पर पुल निर्माण कराने की विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सीमित बजट उपबंध रहने की स्थिति मे वित्तीय वर्ष 2015–16 मे माननीय स०वि०स० से प्राप्त प्राथमिकता सूची के आधार पर एक योजना "बोकारो जिलान्तर्गत नावाडीह प्रखण्ड के नारायणपुर पंचायत के रौली बेडा के बीच गोडगोडवा नाला में पुल निर्माण" का डी०पी०आर० तैयार कराया जा रहा है। सीमित बजट उपबंध रहने के कारण तारांकित प्रश्न सं० ग्राम–01 में वर्णित पुल के निर्माण की स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है। 0

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांक:– 7 (वि०स०)–260 / 2015 / ग्रा०का० 2783 राँची, दिनांक– 21-8-15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–2048 वि०स० दिनांक 13.08.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8/15

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि०स०)–260 / 2015 / ग्रा०का० 2783 राँची, दिनांक– 21-8-15

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21/8/15

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि०स०)–260 / 2015 / ग्रा०का० 2783 राँची, दिनांक– 21-8-15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव (प्रभारी विधानमंडलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21/8/15

सरकार के उप सचिव

94

श्री आलमगीर आलम, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–पथ–09

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री आलमगीर आलम, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत मोगलपाड़ा एन0एच0–80 से महाराजपुर, इस्लामपुर होते हुए पश्चिम बंगाल सीमा तक महत्वपूर्ण पथ की स्थिति अत्यंत जर्जर है;	1. स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि वर्णित पथ का ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में हस्तानांतरण प्रक्रियाधीन है;	2. अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त प्रश्नखण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार मोगलपाड़ा एन0एच0–80 से महाराजपुर इस्लामपुर होते हुए पश्चिम बंगाल सीमा तक पथ का हस्तानान्तरण पथ निर्माण विभाग में करते हुए, निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3. वर्णित पथ के हस्तानांतरण का प्रस्ताव प्राप्त होने पर ग्रामीण कार्य विभाग को पथ हस्तानांतरित करने पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1057/15 ग्रा0का0वि0 2848 राँची/दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2252, दिनांक–19.08.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1057/15 ग्रा0का0वि0 2848 राँची/दिनांक– 25-8-1

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1057/15 ग्रा0का0वि0 2848 राँची/दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25.8.15
सरकार के उप सचिव।

95

श्री दशरथ गागराई, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–ग्राम–06

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री दशरथ गागराई, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावां जिला के निम्नांकित आर०ई०ओ० सड़क कालियाडुंगरी पी०डब्ल्यू०डी० पथ से टेंटोपोसी तक (गम्हारिया प्रखण्ड) घोड़ा चौक से सिलपिंगदा तक (सरायकेला प्रखण्ड) डुबरायडीह से कुचाई (भाया डोरो–सेरेंगदा–कुचाई) तक की स्थिति काफी जर्जर होने के कारण आवागमन में लोगों को दिक्कतें होती है;	1. आंशिक स्वीकारात्मक। प्रश्नाधीन पथों के पूर्व में अलग नामों से राज्य संपोषित अन्तर्गत निर्माण कराया गया है।
2. यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लोकहित में उक्त तीनों सड़कों का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	2. विभागीय नीति निर्धारण एवं बजटीय उपबंध के आलोक में मा० स०वि०स० द्वारा अनुशंसित 8.75 कि०मी० स्वीकृत है व 1.45 कि०मी० प्रक्रियाधीन है। सीमित बजट के कारण तत्काल सभी पथों को लेना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–1035/15 ग्रा०का०वि० 2818 राँची/दिनांक– 22-8-15
प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2136, दिनांक–17.08.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–1035/15 ग्रा०का०वि० 2818 राँची/दिनांक– 22-8-15
प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

22.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–1035/15 ग्रा०का०वि० 2818 राँची/दिनांक– 22.8.15
प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

22.8.15
सरकार के उप सचिव।

96

श्रीमती मेनका सरदार, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–ग्राम–10 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
श्रीमती मेनका सरदार, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित पोटका एवं डुमुरिया प्रखण्डों को जोड़ने वाली एक मात्र पथ कोवाली–डुमुरिया पथ भाया खैरबनी कुमड़ाशोल की स्थिति अत्यन्त जर्जर है;	1. आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–(1) में वर्णित पथ का डुमुरिया प्रखण्ड उग्रवाद प्रभावित है एवं पथ की हालत अत्यन्त जर्जर होने के कारण आवागमन में ग्रामीणों को काफी कठिनाई हो रही है;	2. स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–(1) में वर्णित पथ का निर्माण वित्तीय वर्ष 2015–16 में कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	3. (i) पी०एम०जी०एस०वाई० अन्तर्गत स्वीकृत खैरबनी से खरीदा तक 4.00 कि०मी० पथांश जो षष्टम चरण में स्वीकृत है। संवेदक की शिथिलता के कारण एकरारनामा विखण्डित कर दिया गया है, परन्तु मामला मा० न्यायालय में लंबित है। न्यायादेश के उपरांत पथ निर्माण कराया जा सकेगा। (ii) कुमड़ाशोल से कारूसाई पथ (1.70 कि०मी०) पी०एम०जी०एस०वाई० द्वितीय चरण में स्वीकृत एवं पूर्ण है। चालू वित्तीय वर्ष में उक्त पथांश की मरम्मति हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–1034/15 ग्रा०का०वि० 2841 राँची/दिनांक– 25-8-15
प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2137, दिनांक–18.07.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–1034/15 ग्रा०का०वि० 2841 राँची/दिनांक– 25-8-15
प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–1034/15 ग्रा०का०वि० 2841 राँची/दिनांक– 25-8-15
प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(97)

मा0, स0वि0स0, श्री रामचन्द्र सहिस द्वारा दिनांक 26.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 पथ – 06 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्ता मा0, स0वि0स0, श्री रामचन्द्र सहिस		उत्तरदाता मा0 मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
	क्या मंत्री, प0नि0वि0,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	
1.	क्या यह बात सही है कि प0 सिंहभूम के जुगसलाई रेलवे फाटक के स्थान पर ओवरब्रीज नहीं बनने के कारण आम जनता को हमेशा ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक ।
2.	क्या यह बात सही है कि जुगसलाई रेलवे फाटक के स्थान पर ओवरब्रीज निर्माण हेतु आम जनता वर्षों से मांग करते आ रही है ;	स्वीकारात्मक ।
3.	यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार के जुगसलाई रेलवे फाटक के स्थान पर ओवरब्रीज निर्माण करना चाहते हैं, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	हाँ । रोड ओवर ब्रीज (ROB) आ0ओ0बी0 का रेलवे तथा राज्य सरकार के बीच 50:50 कास्ट शेयरिंग के आधार पर निर्माण करने का निर्णय है । विषयांकित (ROB) आ0ओ0बी0 का Drawings अनुमोदित है । रेलवे द्वारा ब्रीज पार्ट तथा राज्य द्वारा पहुँच पथ का निर्माण कार्य करना है ।

झारखण्ड सरकार

पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–62/2015 6070(S) राँची/दिनांक : 24/8/15

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 2156 दिनांक 17.08.15 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुलग्नक : यथोक्त ।

24.8.15

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।
24.8.15

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–62/2015 6070(S) राँची/दिनांक : 24/8/15

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24.8.15

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।
24.8.15

98

श्री साधु चरण महतो, मा०स०वि०स०भा० द्वारा दिनांक– 26.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 02 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसवाँ जिले के पूरा चाण्डिल बाजार एवं स्टेशन बस्ती में पेयजल आपूर्ति हेतु एक ही पानी टंकी है जिस कारण उपभोक्ताओं को पर्याप्त एवं शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाता है।	चण्डील ग्रामीण जलापूर्ति योजना वर्ष 2008 में कुल 14000 आबादी के लिए निर्मित की गयी थी। इसकी क्षमता (WTP) 1.12 MLD है। VWSC द्वारा संचालित है। गृह संयोजन की संख्या– 776 है एवं स्टैंड पोस्ट 5 है। चांडिल बाजार एवं स्टेशन बस्ती की आबादी घनी है जो लगभग 8500 है। चांडिल बाजार एवं स्टेशन बस्ती में 1 लाख गैलन क्षमता के एक जलमीनार से पाईप जलापूर्ति की जाती है। यह पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्र में 16 नलकूप चालू है।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त खण्ड में वर्णित स्थान घनी आबादी वाला क्षेत्र है।	कंडिका 1 में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त वर्णित स्थल पर पेयजल आपूर्ति करने हेतु चाण्डिल बाजार के लिए अलग से पानी टंकी स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका 1 में स्थिति स्पष्ट है। यह पर्याप्त है। विस्तार की आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–01/2015– 3717 /राँची, दिनांक :– 23/8/15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 2131 दिनांक– 17.08.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/8/15
(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।
23/8/15

श्री राज कुमार यादव, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–26.08.2015 को पूछे जानेवाले म० प्रश्न सं०–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत भवन निर्माण विभाग द्वारा गिरिडीह पुलिस लाईन में भवन निर्माण तिसरी में प्रखंड स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्र निर्माण तथा धनवार प्रखंड में उत्क्रमित उच्च विद्यालय नावाडीह में भवन निर्माण कराया जा रहा है सभी भवनों के निर्माण गुणवत्ता के अनुरूप नहीं किया जा रहा है ;	अस्वीकारात्मक। गिरिडीह जिला अन्तर्गत पुलिस लाईन का निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) के द्वारा कराया जा रहा है। पुलिस लाईन के निर्माण कार्य के गुणवत्ता के विरूद्ध ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अन्य मामले इस विभाग से संबंधित नहीं है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त सभी भवनों के निर्माण में अनियमितता बरतने वाले संवेदकों व अधिकारियों के खिलाफ जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–1 के आलोक में कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–03/वि०स०–1010/2015–4826/ राँची, दिनांक–23/08/2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2260/वि०स०, दिनांक–19.08.2015 के प्रसंग में तथा उप सचिव, भवन निर्माण विभाग के पत्रांक–2596, दिनांक–21.08.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 22.8.15
सरकार के उप सचिव।

(100)

श्री नलिन सोरेन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–26

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री नलिन सोरेन, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है, कि दुमका जिला के शिकारीपाड़ा प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम बांकीजोर पंचायत बांकीजोर चड़का नदी में खरनाघाट पर अब तक पुल का निर्माण नही किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि इस पुल के अगल–बगल पचास गाँव अवस्थित है, जिन्हे आवागमन में काफी परेशानी होती है ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उपरोक्त चड़का नदी पर खरनाघाट में पुल निर्माण करने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्ष 2015–16 में माननीय स०वि०स० से प्राप्त प्राथमिकता सूची के आधार पर एक योजना "काठीकुण्ड प्रखण्ड अंतर्गत हरला नदी पर पहाड़पुर से हरला (पंचायत–कदमा) के बीच उच्च स्तरीय पुल निर्माण" का डी०पी०आर० तैयार कराया जा रहा है। सीमित बजट उपबंध रहने के कारण तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–26 में वर्णित पुल के निर्माण की स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांक:– 7 (वि०स०)–278 / 2015 / ग्रा०का० 2845 राँची, दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2315 वि०स० दिनांक 20.08.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/8/15

(योगेश चन्द सिंहक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि०स०)–278 / 2015 / ग्रा०का० 2845 राँची, दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/8/15

सरकार के उप सचिव

101

श्री गणेश गंझू, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 पथ–07

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री गणेश गंझू, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है, कि चतरा के लावालौंग और पलामू के पांकी प्रखण्ड को जोड़ने वाले पांकी लावालौंग मुख्य मार्ग में चाको नदी पर पुलिया नही रहने से बरसात के दिनों में लोगों को 80 कि0मी0 अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ती है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि इस पुलिया के अभाव में बरसात के दिनों में नदी में बाढ़ आने से लगभग एक दर्जन गांवों के लोगों को समुचित ईलाज के लिए चतरा हजारीबाग एवं रांची लाने में कठिनाई होती है ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार चाको नदी पर पुलिया निर्माण कराने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	वर्ष 2015–16 में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त प्राथमिकता सूची के आधार पर एक योजना "चतरा जिला के लावालौंग प्रखण्ड में पंचायत–कटिया, रतनाग से टुनगुन पथ में कउरा नदी पर पुल निर्माण" का डी0पी0आर0 तैयार कराया जा रहा है। सीमित बजट उपबंध रहने के कारण तारांकित प्रश्न सं0 पथ–07 में वर्णित पुल के निर्माण की स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–283/2015/ग्रा0का0 2843 राँची, दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2157 वि0स0 दिनांक 17.08.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/8/15

(योगेश चन्द सिंहकू)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–283/2015/ग्रा0का0 2843 राँची, दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/8/15

सरकार के उप सचिव

102

माननीय विधानसभा सदस्य श्री मनीष जायसवाल, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 26.08.15 को सदन में उठाये जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–पेय–11 की सूचना का उत्तर

क्रं	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाला उत्तर:–
1	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य के 78 पंचायतों को खुले शौच से मुक्त करने की योजना थी जिसके तहत् कुल 93436 घरों में शौचालय का निर्माण की जानी थी, परन्तु राज्य में अबतक सम्बंधित पदाधिकारियों की लापरवाही के चलते मात्र 19 पंचायतों के कुल–19976 घरों में ही शौचालयों का निर्माण हो पाई है;	वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 कुल 90 ग्राम पंचायतों को चयन Open Defecation Free (ODF) हेतु किया गया था, जिसमें 23 अद्द ग्राम पंचायतों को ODF घोषित किया गया। वर्ष 2014–15 झारखण्ड राज्य में कुल 99,706 अद्द घरों में व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण किया गया। इसका व्यौरा भारत सरकार की वेबसाइट www.sbm.gov.in पर IMIS पर देखा जा सकता है। 17 अद्द पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2015–16 में अभी तक ODF किया गया है। इस तरह 40 पंचायत अद्यतन ODF हो चुकी है। शेष कार्य चल रहा है।
2	यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जिलावार शौचालय निर्माण की आकड़ों का भौतिक सत्यापन हेतु उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषी पदाधिकारियों पर विधि सम्मत कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नही तो क्यों?	(i) व्यक्तिगत शौचालय निर्माण करने हेतु जिला जल एवं स्वच्छता समिति (DWSC) के देख रेख में VWSC द्वारा कार्य किया जाता है। VWSC के अध्यक्ष जिले का उपायुक्त होते है एवं सदस्य सचिव कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के होते है। सभी आकडे भारत सरकार की वेबसाइट www.sbm.gov.in पर उपलब्ध है। उसका Online शौचालय निर्माण का फोटो भी वर्ष 2015–16 में अपलोड करना है। यह कार्य प्रारम्भ है। (ii) जिलावार ODF पंचायतों के आंकड़ों का सत्यापन उपायुक्त द्वारा जिलास्तर पर टीम बनाकर करने का निर्देश दिया जा रहा है। इस आंकडे का SBM(G) के IMIS से मिलान कर, वास्तविक जमीनी सत्यता का जाँच किया जाय। (iii) अगर आंकड़े सत्य न पाये जाय तो उपायुक्त सम्बन्धित पदाधिकारी एवं कर्मियों पर कारवाई करें। यह कार्य दो माह के अन्दर पूर्ण किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक: 8/ता0प्र0संख्या–24/2015– 3754 दिनांक 24/8/15

प्रतिलिपि:अपर सचिव झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक 2326 दिनांक 20.08.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेश प्रसाद)

(103)

माo, सoविoसo, श्री नलिन सोरेन द्वारा दिनांक 26.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संo पथ – 12 का उत्तर प्रतिवेदन :–

	प्रश्नकर्ता माo, सoविoसo, श्री नलिन सोरेन	उत्तरदाता माo मंत्री, पoनिoविo उत्तर
	क्या मंत्री, पoनिoविo,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला के शिकारीपाड़ा प्रखंड अंतर्गत कमलदाहा मोड़ से पकुड़ीया पथ एवं रानेश्वर प्रखंड अंतर्गत बागनल से महेशखला तक पथ निर्माण का टेंडर हो गया है ;	स्वीकारात्मक ।
2.	क्या यह बात सही है कि टेंडर होने के बाद भी अबतक उपरोक्त दोनों पथों का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है ;	स्वीकारात्मक ।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त दोनों पथों का निर्माण कार्य शुरू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	1. कजलादाहा–पाकुड़िया पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य की पुर्ननिविदा आमंत्रण की कार्रवाई की जा रही है । 2. बाघनल से महेशखाला पथ के वर्तमान स्थिति के आकलन के पश्चात् निर्माण हेतु पुर्ननिविदा की कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड सरकार

पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : पoनिoविo–11–ताoप्रo–68 / 2015 6111 (S) राँची / दिनांक :

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 2313 दिनांक 20.08.15 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुलग्नक : यथोक्त ।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक : पoनिoविo–11–ताoप्रo–68 / 2015 6111 (S) राँची / दिनांक : 25/8/15

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

(104)

मा0, स0वि0स0, श्री जय प्रकाश वर्मा द्वारा दिनांक 26.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 पथ – 03 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता मा0, स0वि0स0, श्री जय प्रकाश वर्मा		उत्तरदाता मा0 मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
	क्या मंत्री, प0नि0वि0,यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–	
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत गाण्डेय प्रखण्ड के अहल्यापुर मोड़ से बेंगाबाद प्रखण्ड के डाकबंगला तक सड़क निर्माण का डी0पी0आर0 तैयार हो चुका है ;	स्वीकारात्मक ।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी गई ;	स्वीकारात्मक ।
3.	यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सभी प्रक्रियाएँ पूरी कर उक्त सड़क का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	यह पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत पूर्व कराये गए कार्य के डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड (Defect liability period) में है। अतः ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने हेतु अनापत्ति प्रदान नहीं की गई है ।

झारखण्ड सरकार

पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–59 / 2015 6110(S) राँची / दिनांक : 25/8/15

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 2147 दिनांक 17.08.15 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुलग्नक : यथोक्त ।

25.8.15

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–59 / 2015 6110(S) राँची / दिनांक : 25/8/15

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25.8.15

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

105

श्री राज सिन्हा, माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा से प्राप्त दि०–26.08.2015 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–न–06 का उत्तर सामग्री :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2011 के राष्ट्रीय खेल के समय धनबाद के रणधीर वर्मा चौक, पूजा टाकीज एवं सिटी सेन्टर में 22 लाख की लागत से ट्रैफिक लाइट लगाया गया था;	नगर आयुक्त, धनबाद नगर निगम द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्न में उल्लिखित ट्रैफिक लाईट जून, 2010 में कुल 20,50,000/–रू० से लगाया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस के बीच मतभेद के कारण 10 दिनों के बाद ही ट्रैफिक खुल गया जो अबतक पुनः चालू नही हो पाया है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। जून 2010 से ट्रैफिक सिग्नल चालू हो गया था, जो कालान्तर में तकनीकी कारणों से बन्द हो गया।
3	यदि उपरोक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त ट्रैफिक लाईट को शीघ्र चालू करते हुए इसके लिए दोषी पदाधिकारी पर कारवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	धनबाद नगर निगम बोर्ड से प्रस्ताव पारित कराकर उक्त ट्रैफिक लाईट चालू करने की कारवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5/न०वि०/ता०–44/2015 – 3103 दिनांक– 25-08-15.

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा के ज्ञाप सं०–2311 दिनांक–20.08.2015 को 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/8/2015
सरकार के उप सचिव।

(106)

दिनांक–26.08.2015 को श्रीमती जोबा मांझी, माननीया स०वि०स० द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–03

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत सोनुवा प्रखण्ड कार्यालय भवन जर्जर अवस्था में है;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि भवन जर्जरवस्था में होने के कारण वर्षात के दिनों में कार्यरत पदाधिकारियो एवं कर्मचारियों को काफी दिक्कतें हो रही है;	स्वीकारात्मक
3. यदि उपरोक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सोनुवा प्रखण्ड कार्यालय भवन को अविलम्ब मरम्मति करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सोनुवा प्रखण्ड भवन निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–07/स्वी0 दिनांक–07.07.2015 द्वारा पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यपालक अभियंता, ग्रा0वि0विशेष प्रमण्डल, प0 सिंहभूम, चाईबासा द्वारा निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक– 1–वि0स0–62 (बी0)/2015/ग्रा0वि0 4431 राँची, दिनांक– 24.8.15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–2051 दिनांक–13.08.2015 के क्रम में उत्तर सामग्री की 200 प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/15

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 1–वि0स0–62 (बी0)/2015/ग्रा0वि0 4431 राँची, दिनांक– 24.8.15

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य–सह–खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची, को सूचनार्थ प्रेषित।

24/8/15

सरकार के अवर सचिव।

(107)

श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा से प्राप्त दिनांक–26.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–न–05 का उत्तर सामग्री :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद अधिसूचित क्षेत्र में सिवरेज ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था नहीं है?	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित सिवरेज ड्रेनेज के अभाव में घरों का गंदा पानी सड़क पर बहता रहता है?	अस्वीकारात्मक है। सिर्फ बरसात के दिनों में जल निकासी की समस्या होती है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित तथ्य के आलोक में बरसात के दिनों में सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है?	आंशिक स्वीकारात्मक है। बरसात के दिनों में अधिक बारिश होने पर कहीं, कहीं सड़क पर जल जमाव होता है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित हुसैनाबाद अधिसूचित क्षेत्र में पानी निकासी के लिए सिवरेज ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभाग द्वारा नागरिक सुविधा के तहत् नगर निकायों को राशि उपलब्ध कराती है। उक्त राशि से नगर निकाय द्वारा जहाँ जलायमान होता है वहाँ पर ड्रेनेज की व्यवस्था कर सकता है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में हुसैनाबाद नगर पंचायत को नागरिक सुविधा मद में 61,09,387/–(एकसठ लाख नौ हजार तीन सौ सतासी रूपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति दी जा चुकी है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5/न०वि०/ता०–41/2015 -3083, दिनांक– 24-08-15.

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा के पत्रांक–2155 दिनांक–17.08.2015 को 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

श्रीमती निर्मला देवी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–15

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती निर्मला देवी, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिला के पतरातु प्रखण्ड के बिचा पंचायत अन्तर्गत हुकाकाट नदी मे पुल निर्मित नही है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पुल के निर्माण नही होने से करीब 10–12 गाँवों को आवागमन मे असुविधा हो रही है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस पुल का निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्ष 2015–16 मे माननीय स0वि0स0 से प्राप्त प्राथमिकता सूची के आधार पर एक योजना चतरा जिलान्तर्गत प्रखण्ड टण्डवा के कल्याणपुर चौक से कारी एवं बन्हे के बीच गहडी नदी मे पुल निर्माण का डी0पी0आर0 तैयार कराया जा रहा है। सीमित बजट उपबंध रहने के कारण तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–15 मे वर्णित पुल के निर्माण की स्वीकृति दिया जाना संभव नही है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–264 / 2015 / ग्रा0का0 2813 राँची, दिनांक– 22-8-15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2140 वि0स0 दिनांक 17.08.2015 के प्रसंग मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–264 / 2015 / ग्रा0का0 2813 राँची, दिनांक– 22-8-15

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

(109)

मा0, स0वि0स0, श्री ताला मराण्डी द्वारा दिनांक 26.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 पथ – 05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता मा0, स0वि0स0, श्री ताला मराण्डी		उत्तरदाता मा0 मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
	क्या मंत्री, प0नि0वि0,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	आंशिक रूप से स्वीकरात्मक ।
1.	क्या यह बात सही है कि बोरियो विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जिला गोड्डा के बोआरीजोर प्रखण्ड एवं जिला साहेबगंज के मंडरो, बोरियो, तालझारी प्रखण्ड के अंतर्गत पड़ने वाली सड़को की स्थिति अत्यंत ही जर्जर हो चुकी है, जबकि इन क्षेत्रों से स्टोन, चिप्स, मैटल, बोल्डर की सप्लाई निकटवर्ती प्रदेशों में प्रतिदिन करोड़ों रूपये की होती है ;	
2.	क्या यह बात सही है कि सिमड़ा बोरीजोर पथ एवं बोआरीजोर, बोरियो पथ की स्थिति अत्यंत जर्जर होने के कारण नागरिकों को काफी असुविधा हो रही है ;	आंशिक रूप से स्वीकरात्मक ।
3.	यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या उक्त सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है, हॉं तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मिर्जाचौकी–बोआरीजोर–सिमरा पथ के i) 0.00 से 48.625 (24 से 28 कि0मी0 छोड़ कर) कि0मी0 का कार्य संवेदक को आवंटित है । कार्य शीघ्र शुरू कराया जायेगा । ii) 24–28 कि0मी0 का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। तत्पश्चात् स्वीकृति की कार्यवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–61/2015 6069 (S) राँची/दिनांक : 24/8/15

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 2148 दिनांक 17.08.15 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुलग्नक : यथोक्त ।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–61/2015 6069 (S) राँची/दिनांक : 24/8/15

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

(117)

श्री विदेश सिंह, मा०स०वि०स०मा० द्वारा दिनांक– 26.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 04 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के पॉकी प्रखण्ड मुख्यालय में जलमीनार का निर्माण एवं पाईप बिछाने का कार्य पूर्ण होने के बाद भी आम उपभोक्ताओं को पेयजल हेतु जलापूर्ति की नियमित व्यवस्था नहीं हो पाई है?	वस्तुस्थिति यह है कि पॉकी प्रखण्ड मुख्यालय में HYDT के माध्यम से पाईप बिछाकर समरसिबुल मोटर पम्प के द्वारा जलापूर्ति की जाती है। यह VWSC द्वारा संचालित है। इससे लगभग 500 आबादी आच्छादित है। यह पर्याप्त नहीं थी। पॉकी प्रखण्ड मुख्यालय की नई योजना की स्वीकृति रूपये 4135.73 लाख (इक्तालीस करोड़ पैंतीस लाख तिहत्तर हजार रूपये) की योजना स्वीकृत्यादेश संख्या– 23(स्वी०) दिनांक– 22.08.2015 द्वारा स्वीकृत है। इसमें पॉकी पंचायत के 46 ग्रामों अन्तर्गत कुल 60,271 आबादी आच्छादित होगी।
2	क्या यह बात सही है कि जलापूर्ति के अभाव में आम उपभोक्ताओं को काफी असुविधा उत्पन्न हो रही है?	कंडिका 1 में स्थिति स्पष्ट की गई है। इसके अतिरिक्त 68 नलकूप द्वारा आच्छादन किया जाता है। यह 70 आबादी/नलकूप है जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। इस तरह पर्याप्त पेयजल उपलब्ध है।
3	यदि उपरोक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नियमित पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका 1 में स्थिति पूर्णतः स्पष्ट की जा चुकी है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

ज्ञापांक :– 7/ता0प्र0– 01–02/2015– 3716 /राँची, दिनांक :– 23/8/15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 2153 दिनांक– 17.08.2015 के कम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/8/15

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

(111)

श्री रघुनन्दन मण्डल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–ग्राम–18

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री रघुनन्दन मण्डल, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के प्रखण्ड गोड्डा अन्तर्गत हरना मोड़ से कुसमन्नी तक एवं गायछान से लेकर कुर्मी चक तक सड़क में बड़े–बड़े हजारों गड्ढे बन गये है;	1. आंशिक स्वीकारात्मक। हरना मोड़ से कुषमणी तक 8 वर्ष पूर्व निर्माण कार्य कराया गया था।
2. क्या यह बात सही है कि इन सड़कों से 50 गांव का एक मात्र आवागमन यातायात का रास्ता है जो फिलहाल छोटे–बड़े वाहनों का आवागमन बंद पड़ा है जिस कारण आस–पास के ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है;	2. स्वीकारात्मक।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन दोनों पथों का मजबूतीकरण एवं कालीकरण का विचार वित्तीय वर्ष 2015–16 में कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	3. विभागीय निर्धारित नीति के आलोक में माननीय सदस्य द्वारा अनुशंसित औसतन 10 कि०मी पथ स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। उक्त अनुशंसा सूची में प्रश्नाधीन पथ शामिल नहीं है। सीमित बजटीय उपबंध के आलोक में वर्णित पथ के निर्माण का निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–1044/15 ग्रा०का०वि० 2836 राँची/दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2255, दिनांक–19.08.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–1044/15 ग्रा०का०वि० 2836 राँची/दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–1044/15 ग्रा०का०वि० 2836 राँची/दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

112

श्री जगरनाथ महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–ग्राम–02

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री जगरनाथ महतो, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि जिला गिरिडीह के डुमरी प्रखण्ड अन्तर्गत जी०टी० रोड से चकरबराई तक पथ की हालात बिल्कुल जर्जर है;	1. स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि पथ जर्जर होने से आम–जनता को आवागमन में काफी परेशानी होती है;	2. स्वीकारात्मक।
3. यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथ की मरम्मति करवाने की विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में मरम्मति मद में सीमित बजटीय उपबंध प्राप्त है। विगत वर्षों के दायित्व भुगतान उपरांत नीति–निर्धारण के तहत् निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–1018/15 ग्रा०का०वि० 2778 राँची/दिनांक– 21-8-15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2049, दिनांक–13.08.15 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–1018/15 ग्रा०का०वि० 2778 राँची/दिनांक– 21-8-15

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

20.8.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–1018/15 ग्रा०का०वि० 2778 राँची/दिनांक– 21-8-15

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

20.8.15
सरकार के उप सचिव।

113

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–22 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि रांची जिला के खलारी प्रखण्ड के अन्तर्गत चामा, मैक्लुस्कीगंज मुख्य पथ स्थित वन विश्रामागार के पास हरहु, परसातरी, नकटा पहाड़ के बगल से कुसुमटोला पतरातु ग्राम होते हुए मदरसा तक जाने वाला पथ का निर्माण ग्रेड–1 पथ बीस वर्ष पूर्व ग्राम अभियंत्रण संगठन के द्वारा हुआ था;	1. स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पथ के किनारे दर्जनों गांव बसे हुए है;	2. स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पथ की स्थिति काफी खराब हो गयी है, जिस पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है;	3. स्वीकारात्मक।
4. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पथ में पड़ने वाले कई पुल–पुलिया का निर्माण भी हो चुका है;	4. स्वीकारात्मक।
5. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथ का कालीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	5. विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में मा0 स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित पथों की स्वीकृति दी जा चुकी है। उक्त पथ अनुशंसा सूची में शामिल नहीं है। सीमित बजटीय उपबंध एवं निर्धारित नीति के आलोक में वर्णित पथ के निर्माण का निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1051 / 15 ग्रा0का0वि0 2855 राँची / दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2330, दिनांक–20.08.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.8.15

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1051 / 15 ग्रा0का0वि0 2855 राँची / दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25.8.15

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1051 / 15 ग्रा0का0वि0 2855 राँची / दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

114

मान0, स0वि0स0, श्री जय प्रकाश सिंह भोगता द्वारा दिनांक 26.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0– पथ 01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1 क्या यह बात सही है कि जिला चतरा नगर मुख्यालय राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर अवस्थित है ;	स्वीकारात्मक। चतरा शहर NH - 99 पर अवस्थित है।
2 क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर बसे होने और सड़के संकीर्ण होने के कारण गाड़ियों का आवागमन एवं लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ;	शहरी पथांश में पथ का ROW कम होने के कारण वाहनों को आवागमन में कठिनाई होती है।
3 यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बाई पास पथ निर्माण का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015 – 16 के लिए स्वीकृत कार्य योजना में चतरा शहर के लिए बाईपास का निर्माण के लिए डी0पी0आर0 का गठन की योजना शामिल है। परामर्शी बहाल करने के लिए निविदा आमंत्रित की गयी है। निविदा निष्पादन हेतु निविदा कागजात सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को समर्पित की गई है। निविदा की शीघ्र स्वीकृति हेतु मंत्रालय से दिनांक 20.06.2015 को अनुरोध किया गया है। परामर्शी बहाल होने के पश्चात डी0पी0आर0 का निर्माण किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : 11–ता0प्र0– 57/2015 6073(1) राँची/दिनांक : 24/8/15

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 2047 दिनांक 13.08.2015 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 : यथोक्त।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : 11–ता0प्र0– 57/2015 6073(1) राँची/दिनांक : 24/8/15

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची /मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(113)

दिनांक–26.08.2015 को श्री निरल पुरती, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–19

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है के प0 सिंहभूम अन्तर्गत ताँतनगर प्रखण्ड कार्यालय भवन का छत क्षतिग्रस्त होकर धँस गया है;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड कार्यालय का छत धँस जाने के कारण प्रखण्ड कार्यालय का कार्य कृषि तकनीकी केन्द्र भवन मे चल रहा है;	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपरोक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त तॉतनगर प्रखण्ड के लिए नये प्रखण्ड कार्यालय भवन निर्माण कराने का विचार रखती है; हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रखण्ड भवन पुनर्निर्माण हेतु पर्याप्त बजटीय उपबंध नही है। बजटीय उपबंध प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक– 1–वि0स0–66 (बी0)/2015/ग्रा0वि0 4453 राँची, दिनांक– 25.8.15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–2257 दिनांक–19.08.2015 के क्रम में उत्तर सामग्री की 200 प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/8/15

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 1–वि0स0–66 (बी0)/2015/ग्रा0वि0 4453 राँची, दिनांक– 25.8.15

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/8/15

सरकार के अवर सचिव।

(116)

दिनांक–26.08.2015 को श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–24

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला अन्तर्गत उधवा प्रखण्ड कार्यालय के नये भवन का निर्माण हेतु वर्ष 2008–09 में निविदा निकाली गयी थी, जो अधूरा ही तैयार हुआ है;	साहेबगंज जिलान्तर्गत उधवा प्रखण्ड कार्यालय भवन निर्माण हेतु वर्ष 2006–07 में निविदा निकाली गयी थी, संवेदक द्वारा कार्य बीच में ही बंद कर दिये जाने के कारण कार्य अधूरा है।
2. क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उधवा द्वारा अधूरे पड़े कार्यालय भवन को दुरुस्त करने हेतु Re-Estimate तैयार कर विभाग के पास स्वीकृति हेतु भेजी गयी है, जो लम्बित है;	अस्वीकारात्मक। प्रखण्ड कार्यालय भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन विभाग स्तर पर अब तक अप्राप्त है।
3. यदि उक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अधूरे कार्य करने वाले संवेदक पर कार्रवाई करते हुए प्रखण्ड कार्यालय भवन, उधवा को पूर्ण निर्माण कराने का विचार रखती है; यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यथा खण्ड–2 उपायुक्त, साहेबगंज के ज्ञापांक–157 दि0–12.02.2011 द्वारा प्रखण्ड कार्यालय भवन निर्माण से सम्बन्धित संवेदक के साथ किये गये एकरारनामा को विखण्डित कर अग्रधन की राशि को जब्त किया गया है तथा संवेदक को काली सूची में दर्ज किया गया है। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राप्त होने पर प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक– 1–वि0स0–68 (बी0)/2015/ग्रा0वि0 4454 राँची, दिनांक– 25·8·15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–2320 दिनांक–20.08.2015 के क्रम में उत्तर सामग्री की 200 प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 25/8/15
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 1–वि0स0–68 (बी0)/2015/ग्रा0वि0 4454 राँची, दिनांक– 25·8·15

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य–सह–खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 25/8/15
सरकार के अवर सचिव।

श्री शशि भूषण सामाड़, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–ग्राम–9 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री शशि भूषण सामाड़, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर प्रखण्ड में ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, चक्रधरपुर अन्तर्गत बांझीकुसुम झरझरा ग्रामीण सड़क का मरम्मति कार्य एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत निर्मित समरायडीह फुलकानी सड़क का निर्माण कार्य कई वर्षों से अधुरा है;	1. आंशिक स्वीकारात्मक। वर्णित पथ (1) बांझीकुसुम से झरझरा 10.00 कि०मी० (2) समरायडीह फुलकानी सड़क का निर्माण राज्य संपोषित योजना के तहत् कराया जा रहा है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित सड़क निर्माण कार्य अधुरा होने से आम जनता एवं छात्र–छात्राओं को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	2. पथ निर्माण का कार्य प्रगति में है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित सड़क निर्माण कार्य पूर्ण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	3. बांझीकुसुम से झरझरा पथ मरम्मति का कार्य प्रक्रियाधीन है। समरायडीह से फुलकानी पथ के कार्य की गति तेज करने हेतु संवेदक को निदेशित किया गया है। यदि दिसम्बर, 2015 तक संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो पी०डब्ल्यू०डी० कोड के प्रावधान अनुसार एकरारनामा विखण्डित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–1038/15 ग्रा०का०वि० 2839 राँची/दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2143, दिनांक–17.08.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25-8-15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–1038/15 ग्रा०का०वि० 2839 राँची/दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25-8-15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–1038/15 ग्रा०का०वि० 2839 राँची/दिनांक– 25-8-15

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले),